डाक पंजीयन क्र./छ.ग./रायपुर संभाग/14/2024-2026

आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या CHHHIN/2002/09534

रोजगार और नियोजन

वर्ष-22, अंक-48, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित

18 जून 2025 बुधवार, पृष्ठ संख्या 24, नि:शुल्क

बस्तर के विकास को मिलेगा नया आधार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की दिल्ली यात्रा से बस्तर को मिलेगी नई दिशा, खुलेंगे 49 हजार करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं के द्वार

छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर लगभग 49 हजार करोड़ रुपये की दो बड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की। इन परियोजनाओं में बहुउद्देशीय बोधघाट बांध परियोजना और इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना शामिल हैं। मुख्यमंत्री की इस पहल से बस्तर संभाग के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है।

बस्तर का भविष्य

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री को बताया कि बस्तर क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए यह परियोजना 'गेम चेंजर' साबित होगी। इससे सिर्फ बस्तर ही नहीं, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को ऊर्जा, सिंचाई और जल आपूर्ति के क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस परियोजना के शीघ्र स्वीकृति और क्रियान्वयन में केंद्र सरकार के सहयोग का अनुरोध किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने परियोजनाओं के महत्व को समझते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी।

बस्तर में विकास

- 'नियद नेल्ला नार' योजना के साथ नक्सल प्रभावित गांवों में जनसुविधाओं का विकास
- 221 किलोमीटर लम्बाई की 47 सड़कें और 5 पुलों का निर्माण
- बस्तर के युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने के लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोबोटिक्स और एआई की शिक्षा
- नक्सल प्रभावितों और आत्म समर्पित नक्सलियों के लिए 15000 पीएम आवासों का निर्माण

स्रोत : https://dprcg.gov.in

49 हजार करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं से बस्तर में विकास की नई बयार

बोधघाट बांध परियोजना

बोधघाट बांध परियोजना बस्तर की इंद्रावती नदी पर आधारित एक बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। इसका प्रारंभिक उद्देश्य बिजली उत्पादन था, लेकिन बाद में इसमें सिंचाई को भी शामिल किया गया।

29,000 करोड़ योजना की लागत

3,78,475 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई

125 मेगावाट बिजली उत्पादन

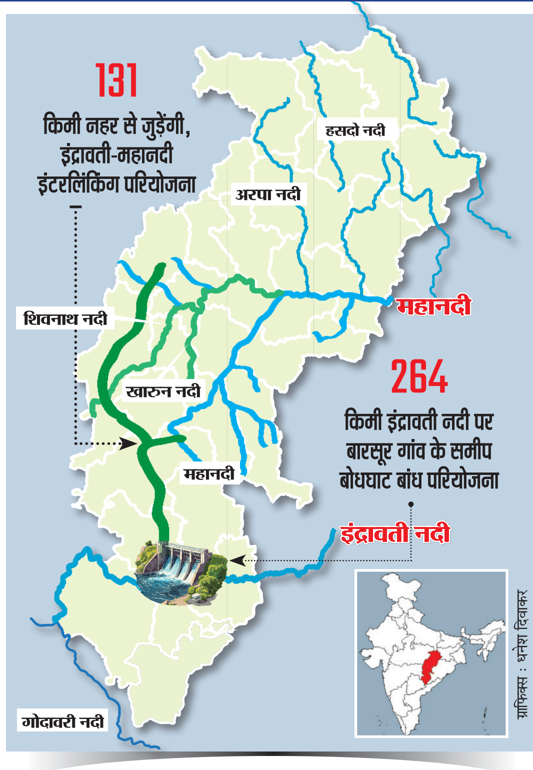

इंद्रावती-महानदी इंटरलिंकिंग परियोजना

इस परियोजना के माध्यम से भी होगा सिंचाई का विस्तार ड्राफ्ट के मुताबिक बस्तर में चित्रकोट के पास से इंद्रावती से नहर शुरू होगी। यहां सें बीजापुर, नारायपुर, कोंडागांव, केशकाल, कांकेर होते हुए महानदी से जोड़ा जाएगा।

20,000 करोड़ योजना की लागत

50,000 हेक्ट. कांकेर में सिंचाई सुविधा

4824 टन प्रति वर्ष मत्स्य उत्पादन

- कुल जल भराव क्षमता: 2727 मि.घ.मी.
- जलाशय क्षेत्रफल: 10,440 हेक्टेयर
- लाभान्वित गांव: 260
- डूबान क्षेत्र में आने वाले गांव: 36
- पेयजल आपूर्ति: 40 मि.घ.मी.
- उपयोगी जल भराव क्षमता: 2009

आर्थिक विकास और औद्योगीकरण

- बस्तर को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करना।
- बांस, लघु वनोपज और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रसंस्करण हेतु उद्योग स्थापित

पर्यटन और सांस्कृतिक विकास

- बस्तर के ऐतिहासिक और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना।
- लोक संस्कृति, कला और परंपराओं को संरक्षित कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाना।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्विकास

- नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़क, स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाएं विकसित करना।
- आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष योजनाएं लागू करना।

समीक्षा बैठक

नवीन पोर्टल का शुभारंभ, रियल टाइम मॉनिटरिंग के निर्देश

छत्तीसगढ़ में आश्रम-छात्रावासों की गुणवत्ता, संचालन और निगरानी को लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सख्त रुख में नजर आए। मंत्रालय में आयोजित आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रावासों में लापरवाही करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने आश्रम-छात्रावास प्रबंधन के लिए एक नवीन पोर्टल का शुभारंभ किया।

85 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी

बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने आगामी शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए छात्रावासों के संचालन हेतु शिष्यवृत्ति एवं भोजन सहायता की पहली किश्त के रूप में 85 करोड़ रुपए का ऑनलाइन अंतरण भी किया।

समीक्षा बैठक की मुख्य बातें

- प्रदेश के सभी 20 खेल परिसरों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी
- अखरा विकास के तहत आस्था स्थलों पर प्रकाश व्यवस्था, बैठक सुविधा, शेड और पेयजल सुनिश्चित किया जाएगा।
- नई दिल्ली के ट्राइबल यूथ हॉस्टल में रहकर सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाएगा।
- एकलव्य विद्यालय, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, जनजातीय विपणन केंद्र, वन अधिकार पत्र वितरण जैसी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
- शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय को छत्तीसगढ़ के अन्य अमर बलिदानियों की स्मृति से जोड़ते हुए विकसित किया जाएगा।

रोजगार और नियोजन पेपर मोबाइल एप पर भी पढ़िए

https://dprcg.gov.in/

छत्तीसगढ़ शासन की मंशानुरूप राज्य के प्रतिष्ठित समाचार पत्र रोजगार और नियोजन अब डीपीआर की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध होने के साथ अब एप पर भी उपलब्ध है।

जिसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।

चिंतन शिविर 2.0

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शासन के नवाचारों, डिजिटल स्वास्थ्य और प्रशासनिक दक्षता पर गहन मंथन

सुशासन का नया संकल्प, चिंतन से क्रियान्वयन की ओर छत्तीसगढ़

जन-सेवा और प्रशासनिक दक्षता को नई दिशा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने 'चिंतन शिविर 2.0' का आयोजन किया, जिसकी मेज़बानी भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रायपुर ने की। मुख्यमंत्री श्री साय, उनके मंत्रीमंडल के सहयोगियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विषय विशेषज्ञों के साथ मिलकर सुशासन की वर्तमान चुनौतियों और संभावनाओं पर गहन विचार साझा किए।

लोकतंत्र और चुनाव में सुशासन की भूमिका

"गुड गवर्नेंस टू इलेक्शन" विषय पर चर्चा करते हुए राजनीतिक विश्लेषक श्री उदय माहुरकर ने बताया कि पारदर्शी शासन व्यवस्था से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती हैं। प्रशासनिक आचरण में नैतिकता, चुनावी पारदर्शिता और जनभागीदारी को मजबूती की कुंजी है।

डिजिटल सुशासन पर विशेष व्याख्यान

"The Art of Good Governance" विषय पर व्याख्यान देते हुए श्री संजीव सान्याल ने कहा कि सुशासन केवल नियमों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण से आता है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, व्यावहारिक और परिणामोन्मुखी बनाने के उपाय सुझाए।

रिक्रूटमेंट नोटिस

सी-डेक
पदः प्रोजेक्ट इंजीनियर
पद संख्याः 848
अंतिम तिथिः 20 जून
www.cdac.in

बिहार पंचायती राज विभाग
पदः टेक्निकल असिस्टेंट
पद संख्याः 942
अंतिम तिथिः 25 जून
zp.bihar.gov.in

SSC JHT
पदः हिंदी ट्रांसलेटर
पद संख्याः 437
अंतिम तिथिः 26 जून
ssc.gov.in

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन
पदः ग्रेड सी, डी स्टेनोग्राफर
पद संख्याः 261
अंतिम तिथिः 26 जून
ssc.gov.in

OPSC
पदः असिस्टेंट प्रोफेसर
पद संख्याः 314
अंतिम तिथिः 26 जून
opsc.gov.in

DRDO
पदः साइंटिस्ट बी
पद संख्याः 148
अंतिम तिथिः 27 जून
rac.gov.in

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
पदः टीजीटी
पद संख्याः 937
अंतिम तिथिः 3 जुलाई
Hprca.hp.gov.in

रोजगार और नियोजन
प्रधान संपादक
डॉ. रवि मित्तल
संपादक
जवाहर लाल दरियो
सहायक संपादक
गीतांजलि नेताम
संपादकीय
संदीप सिन्हा
ग्राफिक डिजाइन-इलेस्ट्रेशन
धनेश कुमार दिवाकर
डाटा एंट्री आपरेटर
अंजुरानी, राकेश साहू
वितरण व्यवस्था
विक्रांत ताम्रकार
- कार्यालय पता -
छत्तीसगढ़ संवाद
(छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग का उपक्रम)
नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19,
अटल नगर, नवा रायपुर (छत्तीसगढ़)
फोन-0771-2512582, 2512583
ईमेल पता
rojgarauniyojan@gmail.com
रोजगार और नियोजन निःशुल्क है।

रोजगार और नियोजन में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। रोजगार और नियोजन में प्रकाशित होने वाले लेखों के लिए लेखकों को नियमानुसार मानदेय प्रदान किए जाने की व्यवस्था है। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र रायपुर रहेगा।

पिक ऑफ द वीक

इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का संगम, जो छत्तीसगढ़ के बीजापुर के भद्रकाली में मिलती है...

डिफेंस-एयरोस्पेस में रिसर्च को बढ़ावा देने 3 करोड़ तक का अनुदान, औद्योगिक नीति में बड़ा संशोधन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा फैसला

राज्य सरकार द्वारा संशोधित नई औद्योगिक नीति 2025 अब नवाचार और रणनीतिक उद्योगों को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत डिफेंस और एयरोस्पेस सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार निजी क्षेत्र में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोत्साहन देने जा रही है। इसके तहत यदि कोई निजी संस्था फ्लेटेड फैक्ट्री स्थापित करती है, तो 30 करोड़ रुपए तक की इंफ्रास्ट्रक्चर लागत में 30% की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

3 करोड़ तक का अनुसंधान अनुदान

सरकार इस सेक्टर में स्थापित होने वाले उद्योगों को 3 करोड़ रुपए तक की अनुसंधान सहायता देगी। इसके अंतर्गत भूमि और भवन की खरीदी या लीज पर स्टाम्प ड्यूटी की पूरी छूट दी जाएगी। साथ ही स्थायी पूंजी निवेश की 100% राशि तक अनुदान भी दिया जाएगा।

बड़े निवेश पर विशेष प्रोत्साहन

यदि किसी संयंत्र में 50 से 500 करोड़ रुपए तक का पूंजी निवेश किया जाता है, तो उस पर 60 से 300 करोड़ रुपए तक का अनुदान मिलेगा, जो 6 वर्षों में समान वार्षिक किस्तों में वितरित किया जाएगा।

उच्च तकनीकी क्षेत्रों को भी लाभ

राज्य सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना को भी समर्थन देने का फैसला लिया है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर 50% तक स्थायी पूंजी निवेश अनुदान उपलब्ध रहेगा।

ड्रोन परीक्षण और प्रशिक्षण को प्रोत्साहन

कृषि, रक्षा और औद्योगिक उपयोग में बढ़ते ड्रोन प्रयोग को देखते हुए सरकार ने ड्रोन टेस्टिंग एवं प्रशिक्षण केंद्रों पर 20% लागत अनुदान देने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग सेंटर को अधिकतम 50 लाख रुपए की सहायता मिलेगी।

टेक्सटाइल उद्योग को प्रोत्साहन

राज्य सरकार टेक्सटाइल उद्योग को बड़े रोजगार प्रदाता के रूप में देख रही है। इसके तहत यदि कोई कंपनी छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को रोजगार देती है तो उन्हें 5,000 से 6,000 रुपए प्रति श्रमिक प्रतिपूर्ति का अनुदान मिलेगा। यह प्रावधान 20% वेतन अनुदान के अलावा होगा।

सार्वजनिक सुविधाओं को प्रोत्साहन

राज्य सरकार ने अपशिष्ट जल प्रबंधन और सीवरेज संयंत्रों की स्थापना पर भी कदम उठाए हैं। इसके अंतर्गत कुल लागत का 50% अनुदान, यानी अधिकतम 5 करोड़ रुपए, दिया जाएगा। साथ ही स्टाम्प शुल्क की पूर्ण छूट और भूमि पंजीयन व डायवर्सन शुल्क में भारी रियायतें भी दी जाएंगी।

विशेष निवेश का कैबिनेट करेगी निर्णय

यदि कोई उद्योग 1000 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करता है या 1000 से अधिक रोजगार देता है, तो सरकार उसे विशेष अनुदान देगी, जिसकी राशि मंत्रिमंडलीय उप-समिति द्वारा निर्धारित की जाएगी। बशर्ते, कंपनी में 100% अकुशल, 70% कुशल और 40% प्रबंधन स्टाफ छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए।

बीपीसीएल में जूनियर और एसोसिएट कार्यकारी पदों पर भर्ती, आवेदन 27 जून तक

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ने जूनियर और एसोसिएट कार्यकारी पदों पर भर्ती निकाली है। अभ्यर्थी 27 जून 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट bharatpetroleum.in पर आवेदन कर सकते हैं। योग्यता के अनुसार 10वीं, 12वीं, डिप्लोमा, स्नातक और अभियंत्रण डिग्रीधारी आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, समूह चर्चा और साक्षात्कार शामिल है। वेतन जूनियर एग्जीक्यूटिव 11.86 लाख रुपए से एसोसिएट एग्जीक्यूटिव 16.64 लाख रुपए वार्षिक तक रहेगा।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 पदों पर भर्ती आवेदन 23 जून तक

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने 4500 अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। स्नातक उत्तीर्ण उम्मीदवार 23 जून 2025 तक nats.education.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक की आयु 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए; आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट प्राप्त होगी। चयनित अभ्यर्थियों को 12 माह की अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। आवेदन से पहले NATS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। शुल्क जमा कर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक अधिसूचना देख सकते है।

नीट-पीजी 2025 परीक्षा अब तीन अगस्त को होगी

नीट-पीजी 2025 परीक्षा तीन अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) के कार्यक्रम को मंजूरी दी। अब 3 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच एक पाली में परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए एनबीई को और समय नहीं दिया जाएगा। इससे पहले एनबीई ने कोर्ट को बताया कि एक पाली में परीक्षा के लिए 1,000 केंद्रों की जरूरत है। एनईबी ने कहा, उनके आईटी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने परीक्षा के लिए 3 अगस्त ही सबसे पहली तारीख दी है। पहले यह परीक्षा 15 जून को दो पारी में होनी थी।

AAICLAS में 227 पदों पर भर्ती, आवेदन 30 जून तक

एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विस कंपनी (AAICLAS) ने 227 सिक्योरिटी स्क्रीनर पदों के लिए भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 है। स्नातक अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। चयन शैक्षणिक योग्यता और मेडिकल फिटनेस के आधार पर होगा। वेतन पहले वर्ष 30,000 रुपए, दूसरे वर्ष 32,000 रुपए और तीसरे वर्ष 34,000 रुपए मासिक रहेगा। आवेदन aaiclas.aero पर किए जा सकते हैं।

आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती, आवेदन 16 अगस्त तक

आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी ने प्राथमिक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक (TGT) और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभ्यर्थी 16 अगस्त 2025 तक awesindia.com पर आवेदन कर सकते हैं। अधिकतम आयु-सीमा 55 वर्ष निर्धारित है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन स्क्रीनिंग, साक्षात्कार तथा शिक्षण-कौशल एवं कंप्यूटर-दक्षता परीक्षण शामिल हैं। पात्रता के लिए स्नातक/ परास्नातक, बीएड/ डीएलएड और सीटीईटी/ टीईटी अनिवार्य है।

MPPSC SI के 35 पदों पर भर्ती, 20 जून से आवेदन शुरू

मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने परिवहन उप-निरीक्षक (SI) के 35 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन 20 जून से 19 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। उम्मीदवारों के पास ऑटोमोबाइल/ मैकेनिकल में डिप्लोमा या डिग्री, ड्राइविंग लाइसेंस और कंप्यूटर में एक वर्षीय डिप्लोमा होना अनिवार्य है। आयु सीमा 21 से 33 वर्ष निर्धारित है। विस्तृत जानकारी और आवेदन प्रक्रिया वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर उपलब्ध है।

प्रयोगशाला-परिचारक भर्ती 3 अगस्त को होगी परीक्षा

उच्च शिक्षा विभाग के तहत प्रयोगशाला-परिचारक के 430 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। केवल पहले से आवेदन कर चुके अभ्यर्थी ही 30 जून 2025 तक व्यापमं की वेबसाइट पर पंजीकरण कर सकेंगे। परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित होगी। विस्तृत जानकारी वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in/ पर उपलब्ध है।

छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री ने शहीद एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे को दी श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए कायरतापूर्ण आईईडी विस्फोट में शहीद हुए एएसपी श्री आकाश राव गिरपुंजे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उन्हें अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री श्री साय ने माना स्थित चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर उन्हें नमन किया तथा शहीद के पार्थिव शरीर को कंधा देकर सम्मानपूर्वक विदाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद एएसपी श्री गिरपुंजे ने अपने कर्तव्य के प्रति अदम्य साहस, निष्ठा और समर्पण का परिचय देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। हमें उन पर गर्व है। सरकार इस दुःख की घड़ी में उनके परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है।

आम की खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने का सशक्त जरियाः मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने रायपुर में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आम की खेती से किसानों की आय दोगुनी करने में मदद मिलेगी। महोत्सव में 200 से अधिक किस्मों के 1200 आमों और 56 आम-आधारित व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। बीजापुर की 'हाथीझुल' जैसी दुर्लभ किस्मों को विशेष आकर्षण के रूप में प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के न्यूज़ लेटर का विमोचन किया और किसानों को प्रोत्साहन देने वाले इस आयोजन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने रायपुर को नई पहचान दिलाने की आशा व्यक्त की।

कबीर जयंती समारोह में मुख्यमंत्री की घोषणाएं, गौशाला का नाम अब 'गौधाम'

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने अभनपुर के सोनपैरी गांव में आयोजित कबीर जयंती महोत्सव एवं गौ ग्राम जन जागरण यात्रा समापन समारोह में शिरकत की। उन्होंने संत कबीर के विचारों को सामाजिक एकता और जनजागरण का प्रेरणास्रोत बताया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने निम्न घोषणाएं कीं, जिसमें गौशाला का नाम बदलकर 'गौधाम' किया जाएगा। गुरुकुल भवन के निर्माण हेतु 20 लाख, विद्यालय में बाउंड्री वॉल, नाली, तथा सीसी रोड का निर्माण के साथ ही उन्होंने गौ-अभयारण्य की स्थापना के लिए भूमि चिन्हांकन की जानकारी दी।

पर्यावरण संरक्षण में साझी भागीदारी ही सफलता की कुंजी : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित 'फाइट अगेंस्ट ग्लोबल वार्मिंग' कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने कहा कि जलवायु संकट से निपटने के लिए शिक्षा और सामाजिक सहभागिता जरूरी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में वृक्षारोपण, हरित ऊर्जा और नवाचार कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने "एक पेड़ माँ के नाम" जैसे अभियानों की सराहना की और कहा कि बच्चों में पर्यावरण चेतना का विकास ज़रूरी है। कार्यक्रम में अशासकीय विद्यालय संचालक संघ व गौ संवर्धन समिति के पदाधिकारी भी शामिल हुए।

कोरबा को मिली 223 करोड़ की सौगात, कन्वेंशन सेंटर का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कोरबा में कन्वेंशन सेंटर का नामकरण महारानी अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर करने की घोषणा की और उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने 223.88 करोड़ रुपये के 66 विकास कार्यों की सौगात दी। कार्यक्रम में जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल भवन, छात्रावासों में सोलर प्लांट, ई-बस डिपो, सॉलिड वेस्ट प्रबंधन समेत अन्य कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया गया। मुख्यमंत्री ने अहिल्याबाई की छायाचित्र प्रदर्शनी देखी और "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत पौधरोपण भी किया।

राज्य में 5.52 लाख टन रासायनिक खाद का भंडारण

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को खरीफ सीजन में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के 5.52 लाख टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण सुनिश्चित किया है। यह भंडारण प्रदेश की 2058 सहकारी समितियों एवं विपणन संघ के माध्यम से किया गया है, जिससे किसानों को समय पर और सुगमता से खाद उपलब्ध हो सके। अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री के. एन. काण्डे ने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों में अब तक 4.62 लाख टन खाद का भंडारण किया जा चुका है, जिसमें से 2.44 लाख टन खाद का वितरण किसानों को किया जा चुका है। वर्तमान में समितियों में 2.18 लाख टन खाद उपलब्ध है, जिसमें प्रमुख रूप से 92,120 टन यूरिया, 47,451 टन सुपर फास्फेट, 19,885 टन डीएपी, 32,643 टन एन.पी.के. और 25,855 टन पोटाश शामिल हैं।

नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने स्थापित होगा भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम

नवा रायपुर अटल नगर में पुरखौती मुक्तांगन के सामने भव्य एवं आकर्षक कलाग्राम की स्थापना होगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 10 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के अध्यक्षता में नवा रायपुर स्थित महानदी मंत्रालय भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ में कला, संस्कृति और शिल्प को प्रोत्साहन देना है। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की मांग पर कलाग्राम हेतु नवा रायपुर के सेक्टर-24, ग्राम उपरवारा में लगभग 10 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित किए जाने की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का कहना है कि कलाग्राम की स्थापना छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कला, संस्कृति और शिल्प को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

मरीन ड्राइव विस्तार के लिए 29.57 करोड़ स्वीकृत

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायगढ़ नगर निगम में मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए 29 करोड़ 56 लाख 73 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना के अंतर्गत यह राशि स्वीकृत की गई है। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन ने चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने के दौरान नगर निगमों में बडे कार्यों को अंजाम देने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की थी। इसे धरातल पर उतारते हुए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने रायगढ़ नगर निगम में न्यू शनि मंदिर रोड से छठ घाट तक मरीन ड्राइव के विस्तार के लिए करीब 29 करोड़ 57 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं।

राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री मोदी ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले उन्होंने चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का उद्घाटन किया। यह पुल आठ साल से भी अधिक समय में, 1,486 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुआ है। चिनाब पुल के उद्घाटन के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर में अंजी नदी पर बने भारत के पहले 'केबल-स्टेड' रेलवे पुल का भी उद्घाटन किया। इसके पश्चात प्रधानमंत्री तिरंगा थामकर चिनाब पुल पर पैदल चले।

एम्स और IIT दिल्ली मिलकर स्थापित करेंगे एआई केंद्र

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), दिल्ली और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), दिल्ली मिलकर स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को नई दिशा देने जा रहे हैं। दोनों संस्थानों ने मिलकर 'स्वास्थ्य क्षेत्र में एआई के लिए उत्कृष्टता केंद्र' (एआई-सीओई) स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एमओयू आइआइटी दिल्ली परिसर में आयोजित एक समारोह में एम्स के निदेशक प्रो. एम. श्रीनिवास और आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया।

अब सभी तकनीकी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) के चेयरमैन टी. जी. सीताराम ने कहा है कि अब सभी तकनीकी विषयों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को शामिल किया जाएगा। यह पहले ही वर्ष 2017 में AI और डेटा साइंस में बी.टेक प्रोग्राम शुरू कर चुका है। अब काउंसिल इंजीनियरिंग, आईटी और मैनेजमेंट जैसे सभी तकनीकी कोर्सों के मॉडल पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने की तैयारी कर रही है। चेयरमैन सीताराम ने यह बात इंदौर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में हुई संसद की सलाहकार समिति की बैठक में कही। नए मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर अगले शैक्षणिक सत्र से AI को पढ़ाई का हिस्सा बनाया जा सकता है।

अंग्रेजी-हिंदी समेत लद्दाख में इन भाषाओं को मिली राजभाषा की मान्यता

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने लद्दाख राजभाषा अधिनियम, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस अधिनियम के तहत अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुरगी भाषाओं को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की राजभाषाओं के रूप में मान्यता दी गई है। यह कदम पूरे केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया है और अब ये भाषाएं सभी शासकीय उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त की जाएंगी। यह निर्णय क्षेत्र की भाषाई और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में देखा जा रहा है। यह समावेशी शासन की दिशा में एक बड़ा बदलाव है, जिसका उद्देश्य लद्दाख की बहुभाषी संस्कृति को संरक्षित रखना है। इस पहल से लद्दाख की स्थानीय भाषाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन मिलेगा।

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई का प्रमोशन बने उप सेना प्रमुख

लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को सेना का उप प्रमुख (रणनीति) नियुक्त किया गया है। वे डीजीएमओ (डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस) के पद पर भी बने रहेंगे। यह नियुक्ति भारतीय सेना की महत्वपूर्ण रणनीतिक भूमिकाओं में से एक मानी जाती है। सूत्रों के अनुसार, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के एयरबेस पर हमले किए, तब पाकिस्तान घबराकर संघर्ष विराम की अपील के लिए सीधे जनरल घई को फोन किया था।

डीआरडीओ ने 10 उद्योगों को नौ प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित की

सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों की भागीदारी के साथ एक मजबूत रक्षा औद्योगिक तंत्र स्थापित करने के सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में स्थित डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला - वाहन अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (वीआरडीई) ने 10 उद्योगों को नौ प्रणालियों की प्रौद्योगिकियां हस्तांतरित करके एक बड़ा कदम उठाया है। 7 जून, 2025 को वीआरडीई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉ. समीर वी. कामत की उपस्थिति में लाइसेंसिंग समझौते सौंपे गए। इन उद्योगों को हस्तांतरित की गई।

रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में जीता स्वर्ण पदक

ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में, महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। 100% आदिवासी आबादी वाला यह गाँव, प्रौद्योगिकी-संचालित ग्रामीण शासन का एक राष्ट्रीय मॉडल बनकर उभरा है। रोहिणी ग्राम पंचायत को 'जमीनी स्तर की पहल' श्रेणी में देशभर से आई 1.45 लाख से अधिक प्रविष्टियों में से चुना गया। यह पुरस्कार विशाखापत्तनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में प्रदान किया गया।

शुभांशु का आईएसएस मिशन स्थगित

स्पेसएक्स के फाल्कन-9 रॉकेट में लीकेज का पता चलने के बाद एक्सिओम-4 मिशन स्थगित कर दिया गया है। इस मिशन के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला और तीन अन्य यात्री अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) जाने वाले थे। स्पेसएक्स ने बताया कि रॉकेट के बूस्टर के निरीक्षण के दौरान लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव पाया गया है। इसकी मरम्मत में समय लग सकता है, इसलिए लॉन्च की नई तारीख जल्द साझा की जाएगी। इसरो अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि लॉन्च पैड पर 7-सेकंड के हॉट टेस्ट के दौरान प्रोपल्शन-बे में लिक्विड ऑक्सीजन का रिसाव हुआ था।

भारत में दो नए रामसर वेटलैंड स्थल घोषित कुल संख्या पहुंची 91

भारत के दो और स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों (वेटलैंड्स) की रामसर सूची में शामिल किया गया है, जिससे देश में ऐसे स्थलों की कुल संख्या अब 91 हो गई है। रामसर सूची में हाल ही में शामिल हुए नवीनतम स्थल हैं — फलौदी के खीचन और उदयपुर का मेनार, जो दोनों ही राजस्थान राज्य में स्थित हैं।

स्रोत : pib, newsonair, ptinews, aninews

अंतरराष्ट्रीय

ब्रह्मांड का सबसे बड़ा नक्शा दिखीं 8 लाख आकाशगंगाएं

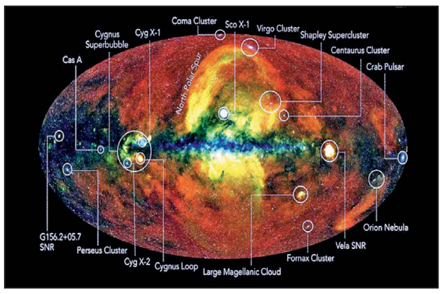

6 जून 2025 को वैज्ञानिकों ने अब तक का सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय नक्शा जारी किया, जिसमें 8 लाख आकाशगंगाएं दिखाई गई हैं। इसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बनाया गया है। इस नक्शे में ब्रह्मांड के लगभग 98% इतिहास को दर्शाया गया है, यानी यह हमें 13.5 अरब वर्ष पहले की झलक देता है। इस नक्शे से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ब्रह्मांड के प्रारंभिक समय में हमारी सोच से कहीं अधिक आकाशगंगाएं और विशालकाय ब्लैक होल बने हुए है।

अमेरिका ने 12 देशों के नागरिकों की एंट्री पर लगाया प्रतिबंध

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ बढ़ती सख्ती के बीच, 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध प्रभावी हो गया है। ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित नए घोषणा पत्र के तहत यह प्रतिबंध अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर लागू होता है।

भारत को ECOSOC की सदस्यता, 2026-28 तक करेगा वैश्विक विकास एजेंडा का नेतृत्व

भारत को वर्ष 2026-2028 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) का सदस्य चुना गया है। यह परिषद सतत विकास के तीन आयामों — आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय — को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र तंत्र के केंद्र में है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भारत को भारी समर्थन देने और उस पर भरोसा जताने के लिए सदस्य देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि भारत विकास से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है और ECOSOC को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता रहेगा।

एपल का नया सॉफ्टवेयरः इंटरफेस के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 लॉन्च

टेक कंपनी एपल ने कैलिफोर्निया के क्यूपरटिनो में आयोजित सालाना वर्ल्डवाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस (WWDC) में अपने सभी डिवाइसों में एकरूपता लाने के लिए नया सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इंटरफेस लॉन्च किया। इसे 'लिक्विड ग्लास' नाम दिया गया है, जिसमें फ्लूइड यूआई शामिल है। कंपनी ने साथ ही नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 26 भी लॉन्च किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार यह डिज़ाइन सिस्टम iOS 26 के साथ एपल के सभी उत्पादों पर एकसमान रूप से लागू हो रहा है।

भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति 2025' का आयोजन

भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति' का 8वां संस्करण 18 जून से 1 जुलाई तक फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को इस प्रकार बढ़ाना है कि वे उप-पारंपरिक परिदृश्यों में बहु-क्षेत्रीय अभियानों को प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकें। भारतीय सेना ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस अभ्यास से दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर-संचालन, समन्वय और सौहार्द विकसित करने में मदद मिलेगी। साथ ही यह अभ्यास दोनों पक्षों को संयुक्त अभियानों से संबंधित रणनीति, तकनीक और प्रक्रियाओं में एक-दूसरे के श्रेष्ठ अनुभवों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा। इससे रक्षा सहयोग का स्तर और ऊंचा होगा तथा दोनों मित्र राष्ट्रों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे।

रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यान प्रक्षेपित करने संबंधी तकनीक का पेटेंट कराया

रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से स्वचालित यान प्रक्षेपित करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। यह स्टेशन दुनिया का ऐसा पहला ड्रोन प्लेटफार्म होगा जिसके रखरखाव के लिए रोबोट का इस्तेमाल होगा। इस तकनीक का परीक्षण रूसी ऑर्बिटल स्टेशन (आरओएस) में करने की योजना है तथा बाद में इसका प्रयोग चंद्रमा के अन्वेषण में किया जायेगा। रूस के पहले उपप्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने यहां एक बैठक में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा कि 2030 तक रूस को अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन के लिए मॉड्यूल-दर-मॉड्यूल योजनाबद्ध बदलाव करना सुनिश्चित करना होगा। मंटुरोव ने बैठक के दौरान कहा, ''आरओएस ''अपने रखरखाव के लिए रोबोट से लैस दुनिया का पहला ड्रोन प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यह रूसी संघ का एक पेटेंट समाधान है।''

अमेरिका को रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई करेगा चीन

अमेरिका और चीन के बीच चल रही तनातनी समाप्त हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "लंदन में दो दिन की बातचीत के बाद चीन के साथ डील हो गई है।" हालांकि, अभी ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अंतिम मंजूरी मिलना बाकी है। डील के तहत चीन अमेरिका को जरूरी रेयर अर्थ मटेरियल्स (दुर्लभ खनिज) और फुल मैग्नेट्स की आपूर्ति करेगा। इसके बदले अमेरिका भी चीन को कुछ सहमति अनुसार सुविधाएं देगा। इनमें अमेरिकी कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज़ में चीनी छात्रों को शिक्षा लेने की अनुमति भी शामिल है।

भारत-नॉर्वे के बीच महासागर सहयोग पर चर्चा, सतत मत्स्य पालन पर हुआ फोकस

पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने फ्रांस के नीस में नॉर्वे की मत्स्य पालन मंत्री मेरिएन सिवर्टसन नेस से द्विपक्षीय बैठक की। तीसरे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन से इतर हुई इस बैठक में सतत मत्स्य पालन, समुद्री संसाधन प्रबंधन और ब्लू इकॉनमी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने महासागर शासन व आजीविका संरक्षण पर सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। सम्मेलन में भारत महासागर स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और तटीय समुदायों के हितों की दिशा में वैश्विक नेतृत्व कर रहा है।

कोविड का नया खतराः इम्युन सिस्टम पर असर डाल सकता है वायरस प्रोटीन

इस्राइल के हिब्रू विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया है कि कोविड वायरस का न्यूक्लियोकेप्सिड प्रोटीन, जो आमतौर पर वायरस के आनुवंशिक पदार्थ को पैक करता है, असंक्रमित कोशिकाओं में फैलकर प्रतिरक्षा प्रणाली को भ्रमित कर सकता है, जिससे वह स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला कर सकती है। इस बीच, नया कोविड वैरिएंट NB.1.8.1, जो ओमिक्रॉन परिवार से जुड़ा है, तेजी से वैश्विक स्तर पर फैल रहा है। जनवरी में पहचाना गया यह वैरिएंट अब भारत सहित कई देशों में पहुंच चुका है, जिससे नई स्वास्थ्य चिंताएं पैदा हो गई हैं।

खेल / कला

सी-कयाकिंग एवं स्टैंड-अप पैडलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के नाम 6 पदक

आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में 5 से 8 जून तक आयोजित तीसरी राष्ट्रीय सी-कयाकिंग एवं स्टैंड-अप पैडलिंग चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 6 पदक जीते और ओवरऑल टीम तालिका में तीसरा स्थान प्राप्त किया। सौरभ स्वहू ने के-1 वर्ग में 500 मीटर व 2 किलोमीटर में स्वर्ण पदक, और 200 मीटर में रजत पदक जीता। वहीं, सौरभ कुमार के साथ मिलकर के-2, 500 मीटर में रजत पदक, तथा पुनीत कुमार ने 500 मीटर में कांस्य पदक हासिल किया।

महिला वनडे विश्व कप 2025 भारत और श्रीलंका में 30 सितंबर से

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने घोषणा की है कि महिला वनडे विश्व कप 2025 का आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में किया जाएगा। यह टूर्नामेंट का 13वां संस्करण होगा, जो दोनों देशों के पांच स्थानों पर खेला जाएगा। आठ टीमों के इस महिला क्रिकेट मेगा इवेंट में भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान भाग लेंगी। भारत में बेंगलुरु, गुवाहाटी, इंदौर और विशाखापत्तनम, जबकि श्रीलंका में कोलंबो में मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को बेंगलुरु या कोलंबो में आयोजित किया जाएगा।

अमेरिकी स्टार कैटी लेडेकी ने यूएस चैम्पियनशिप में जीता तीसरा गोल्ड

नौ बार की ओलंपिक चैम्पियन, अमेरिकी स्टार तैराक कैटी लेडेकी ने यूएस स्विमिंग चैम्पियनशिप में अपना तीसरा गोल्ड मेडल जीता। 28 वर्षीय लेडेकी ने 1500 मीटर फ्रीस्टाइल रेस 15:36.76 मिनट में पूरी कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले वह 400 और 800 मीटर स्पर्धाओं में भी विजेता रही थीं। ग्रेचेन वॉल्स ने 50 मीटर फ्रीस्टाइल को 23.91 सेकंड में पूरा कर नया रिकॉर्ड बनाया।

टीम इंडिया के कप्तान धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल

टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी मैथ्यू हेडन और दक्षिण अफ्रीका के हाशिम अमला के साथ वर्ष 2025 के लिए आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इस वर्ष कुल सात क्रिकेटर शामिल किए गए हैं, जिनमें पाँच पुरुष और दो महिला खिलाड़ी हैं। धोनी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले भारत के 11वें खिलाड़ी बने हैं।

हाथ-पैर खोए, फिर भी बनीं एशिया की सबसे तेज ब्लेड रनर

शालिनी सरस्वती 2012 में एक बैक्टीरियल संक्रमण की चपेट में आ गईं। डॉक्टरों ने उनकी बचने की संभावना केवल 3% बताई थी और हाथ-पैर गंवाने की चेतावनी दी थी। दुर्भाग्यवश, ऐसा ही हुआ। वे पूरी तरह टूट गईं, लेकिन इस त्रासदी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। आज वे एशिया की सबसे तेज (टी62 कैटेगरी) महिला ब्लेड रनर हैं। उनकी दौड़ की शुरुआत 2016 में हुई, जब उन्होंने कृत्रिम ब्लेड के सहारे 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी की। आज वे एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं।

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे से लिया संन्यास

ऑस्ट्रेलिया के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि वह टी20 प्रारूप में खेलना जारी रखेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बताया कि मैक्सवेल ने टी20 विश्व कप 2026 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए एकदिवसीय प्रारूप से संन्यास का निर्णय लिया है। मैक्सवेल ने वनडे करियर की शुरुआत 2012 में की थी। उन्होंने अब तक 149 वनडे मैच खेले, जिनमें 3990 रन बनाए। गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए उन्होंने 5.46 की इकॉनॉमी रेट से 77 विकेट हासिल किए। वह 2015 और 2023 की विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रहे हैं। मैक्सवेल के नाम इस प्रारूप में 4 शतक और 23 अर्धशतक दर्ज हैं।

राष्ट्रपति की पहली महिला ADC बनीं नौसेना की यशस्वी सोलंकी

भारतीय नौसेना की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी को राष्ट्रपति का एड-डी-कैंप (ADC) नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति आर्म्ड फोर्सेज का सुप्रीम कमांडर होता है। यह पहला मौका है जब नौसेना की किसी महिला अफ़सर को सुप्रीम कमांडर के एड-डी-कैंप का पद दिया गया है। राष्ट्रपति को 5 ADC दिए जाते हैं। इनमें से 3 थल सेना से, 1 वायुसेना और 1 नौसेना से होता है।

पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग खिताब जीता

पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग के फाइनल में स्पेन को पेनल्टी शूटआउट में 5-3 से हराकर अपना दूसरा खिताब जीत लिया। म्यूनिख में खेला गया खिताबी मुकाबला फुलटाइम तक 2-2 की बराबरी पर छूटा। इसके बाद इसका रिजल्ट पेनल्टी शूटआउट में आया। इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने महत्वपूर्ण बराबरी का गोल किया, लेकिन बाद में चोटिल होकर वे मैदान से बाहर चले गए।

कोको गॉफ बनीं फ्रेंच ओपन चैंपियन सबालेंका को हराकर जीता दूसरा ग्रैंड स्लैम

21 वर्षीय अमेरिकी टेनिस स्टार कोको गॉफ ने वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका को हराकर फ्रेंच ओपन 2025 विमेंस सिंगल्स खिताब जीत लिया। दो घंटे 38 मिनट चले मुकाबले में गॉफ ने पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी की और 6-7, 6-2, 6-4 से जीत दर्ज की। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। वे 2023 में यूएस ओपन जीत चुकी हैं। गॉफ से पहले फ्रेंच ओपन में आखिरी बार अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने 2015 में खिताब जीता था।

भारत की दिग्गज शूटर इलावेनिल वलारिवान ने जीता कांस्य पदक

भारत की दिग्गज निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान ने आईएसएसएफ विश्व कप में प्रतियोगिताओं के पहले दिन महिला 10 मीटर एयर राइफल फाइनल में एक समय शीर्ष पर रहने के बावजूद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। पच्चीस साल की भारतीय निशानेबाज इलावेनिल ने 231.2 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन की 18 साल की वैंग झिफेई ने 252.7 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता जबकि कोरिया की क्वोन युनजी ने 252.6 अंक के साथ रजत पदक जीता।

संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण छत्तीसगढ़

सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड रायपुर

फोन 0771-2262178, वेबसाईटः-www.sportsyw.cg.gov.in, ई-मेलः-dir-sportsyw.cg@gov.in

क्रमांक/पुर. 1501/2025-26/491 रायपुर दिनांक 02/06/2025

//सूचना//

शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान, मुख्यमंत्री ट्रॉफी, नगद राशि, प्रेरणा निधि, डाईट मनी वर्ष 2023-24 एवं 2024-25 हेतु आवेदन आमंत्रित करने बाबत्

छत्तीसगढ़ शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों/ निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। यह पुरस्कार राज्य के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों / प्रशिक्षकों/ निर्णायकों को प्रदान किये जाते हैं। राज्य खेल अलंकरण के अंतर्गत सीनियर वर्ग के ऐसे खिलाड़ियों को **शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार** से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में या राष्ट्रीय खेलों में कोई पदक प्राप्त किया गया हो या अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया गया हो। इसी प्रकार जूनियर वर्ग के उन खिलाड़ियों को **शहीद कौशल यादव पुरस्कार** से अलंकृत किया जाता है, जिनके द्वारा जूनियर वर्ग के राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में कोई पदक प्राप्त किया गया हो। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने विगत 5 वर्षों में चार बार सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में छत्तीसगढ़ की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले महिला, पुरूष खिलाड़ियों को **शहीद पंकज विक्रम सम्मान** से सम्मानित किया जाता है। प्रशिक्षकों/निर्णायकों को वीर हनुमान सिंह पुरस्कार से अलंकृत किया जाता है। खेल से जुड़े 55 वर्ष या अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में भाग लिया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या संबंधित ने ऐसी कोई उल्लेखनीय सेवा खेल के क्षेत्र में की हो, जिसके आधार पर उन्हें सम्मानित किये जाने हेतु विचार किया जाए, उन्हें **शहीद विनोद चौबे सम्मान** से अलंकृत किया जाता है। इसी प्रकार सीनियर व जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त दल को मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जाती है। पुरस्कार के नियम छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियमों के अंतर्गत पात्रता रखने वाले आवेदकों को पुरस्कार के चलिए प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाएगा।

2/ शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार हेतु रूपये 03 लाख, शहीद कौशल यादव पुरस्कार हेतु रूपये 01 लाख 50 हजार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार हेतु रूपये 01 लाख 50 हजार, शहीद विनोद चौबे सम्मान एवं पंकज विक्रम सम्मान हेतु रूपये 25-25 हजार नगद पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे। इसी प्रकार सीनियर एवं जूनियर वर्ग के दलीय खेलों के लिए मुख्यमंत्री ट्रॉफी प्रदान की जायेगी, जिसमें ऐसे दलीय खेल जिसके सदस्यों की संख्या 04 है, उन्हें सीनियर वर्ग में रूपये 02 लाख एवं जूनियर वर्ग में रूपये 01 लाख का पुरस्कार दिया जायेगा तथा ऐसे दलीय खेल जिनमें सदस्यों की संख्या 04 से अधिक है, उन्हें सीनियर वर्ग में रूपये 05 लाख तथा जूनियर वर्ग में रूपये 03 लाख का पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के अतिरिक्त मानपत्र, अलंकरण फलक, ब्लेजर प्रदान की जावेगी।

3/ राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त विजेताओं को प्रोत्साहन नियम के तहत नगद राशि पुरस्कार अलंकरण प्रदान किया जाता है। वर्ष 2023-24 में (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-25 में (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) जिन खिलाड़ियों ने सब जूनियर, जूनियर एवं सीनियर वर्ग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है, वे खिलाड़ी जिला कार्यालय एवं अपने खेल संघों से आवेदन फार्म प्राप्त कर निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन जमा कर सकेंगे।

4/ इसी प्रकार खेलवृत्ति (डाईट मनी) के लिए जिन खिलाड़ियों ने अधिकृत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया हो या राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व किया हो, खेलवृत्ति हेतु आवेदन कर सकेंगे। खेलवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 19 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। खेल संघों से प्रोत्साहन के लिए उनके द्वारा वर्ष 2023-24 में (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक) एवं वर्ष 2024-25 में (01 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक) अर्जित की गई उपलब्धि के लिए प्रेरणा निधि के आवेदन जिला कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा कर सकेंगे।

5/ पुरस्कार, नगद राशि, खेलवृत्ति एवं प्रेरणा निधि हेतु आवेदन फॉर्म संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण या विभाग के सभी जिला कार्यालय एवं राज्य खेल संघों से प्राप्त किये जा सकते हैं। शहीद पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संघों के माध्यम से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के तहत राज्य खेल संघों की अनुसंशा सहित प्राप्त किये जायेंगे। खेल संघ पृथक-पृथक दो पुरस्कारों (एक महिला, एक पुरुष खिलाड़ी) के लिये वरीयता के आधार पर 2-2 खिलाडियों के नाम की अनुशंसा कर सकेंगे। पंकज विक्रम सम्मान के आवेदन संचालनालय एवं जिला कार्यालय में खिलाड़ियों से सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

6/ जिला कार्यालय / संचालनालय में राज्य खेल संघों से अनुसंशा सहित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 26 जून 2025 कार्यालयीन समय तक निर्धारित की गई हैं खिलाड़ी को एक से अधिक अलंकरण / सम्मान हेतु पृथक-पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्रों का प्रारूप मय सूचना विभाग की वेबसाईट http//sportsyw.cg.gov.in पर उपलब्ध है।

7/ नौकरी पेशा आवेदको के लिएः- राज्य/केन्द्र के शासकीय / अर्द्धशासकीय /सार्वजनिक उपक्रम के अधिकारी/कर्मचारी पर सम्मान / पुरस्कार प्राप्त करने हेतु उन पर संबंधित सरकार द्वारा लागू नियम का भी परिपालन किया जाना अनिवार्य है।

8/ पुरस्कार हेतु गठित निर्णयन समिति का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा, इसके लिए किसी प्रकार के खिलाड़ियों का दावा योग्य मान्य नहीं होगा।

9/ पुरस्कार हेतु निर्धारित, अधिकतम संख्या पर ही पुरस्कार का निर्णय लिया जाना बाध्य कारी नहीं होगा निश्चित संख्या से कम संख्या में भी पुरस्कार चयन सूची जारी किये जाने हेतु समिति सक्षम होगी।

10/ किसी भी प्रमाण पत्र का सत्यापन के लिए समिति द्वारा परीक्षण कराया जा सकेगा तथा किसी भी आवेदन में अस्पष्टता के कारण पुरस्कार को स्थगित या घोषित नहीं किये जाने का निर्णय समिति सक्षम होगी।

11/ आवेदन में दस्तावेज पूर्ण ना होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।

12/ पुरस्कार नियम में प्रावधानों के अनुरूप जिन खिलाड़ियों की मान्यता प्राप्त संघ द्वारा पुरस्कार के लिए अनुसंशा नहीं की गई है और तुलनात्मक रूप से उनकी उपलब्धि अधिक है, तो ऐसे खिलाड़ी तत्संबंधी विवरण प्रस्तुत कर, निर्धारित प्रारूप में अपना व्यक्तिगत विवरण लेख करते हुए दिनांक 26 जून 2025 तक, कार्यालयीन समय में संचालनालय, खेल एवं युवा कल्याण, सरदार वल्लभभाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जी.ई. रोड, रायपुर या खेल विभाग के जिला कार्यालयों में अपना आवेदन सीधे जमा कर सकते हैं।

13/ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार हेतु आवेदन 26 जून 2025 तक आमंत्रित करने के लिये दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करने का कष्ट करें।

उप-संचालक
खेल एवं युवा कल्याण
छत्तीसगढ़, रायपुर

आर.ओ.66/जी-252601416.5

Directorate Sports & Youth Welfare Department

Sardar Vallabh Bhai Patel, International Hockey Stadium Raipur

Phone Number -0771-2262177 Email:- dir-sportsyw.cg@gov.in

-:: RECRUITMENT ADVERTISEMENT ::-

Director, Sports & Youth Welfare invites application from eligible, qualified and motivated Indian Citizen for providing consultancy on contract basis initially for period of 01 years and further extendable on the basis of satisfactory performance at Khelo India State Centre of Excellence Bahatari, Bilaspur.

Post detail as Follow :-

S.No	Post	Number of Post	Remuneration
1	Head Coach Archery	1	100000-150000
2	Masseur - Grade-I (Male)	1	35000

The details of recruitment along with application form is avail able Director, Sports & Youth Welfare website i.e; http://www.sportsyw.cg.gov.in.

Director, Sports & Youth Welfare reserves all the rights to with draw this advertisement at any time without assigning any rea son. For any recruitment related query, e-mail to dir-sportsyw.cg@gov.in

-: Detail of Post :-

02. Head Coach Archery:-

Eligibility Condition:

Essential Conditions/Education Qualification:

Candidate should have diploma in Coaching from SAI/NS NIS or from any other recognized Indian/Foreign University and should have represented India in Olympics/World Cup/World Champion ship. Certificate Course from concerned National/International Federation is a must. Working knowledge of computer is essen tial. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

OR

Experience in Coaching with Senior/Junior Indian teams or Dec oration of Dronacharya/Arjuna/Dhyan Chand Award or who have produced medalists in International Competitions. Minimum 10 years of experience of coaching is required.

OR

Central Government / State Government / PSU employees may be allowed to apply for the position. However, the applicable recruit-ment rules of the Department of Personnel & Training (Do PT) will be applicable for all such postings on deputation.

DESIRED QUALIFICATION:-

- Demonstrated experience in planning, organizing and implemening a comprehensive high performance coaching programmed for in ternational teams and athletes.
- Knowledge of leading trends in coaching, including coaching sci-ence, practices and the appropriate application of leading tech-nology tools.
- A background in teaching to provide mentoring and instruction to other support Coaches and Staff involved with the Academy.
- The ability to attain excellence from players, coaches, staff and all stakeholders through the establishment of a 'winning 'culture.
- Effective management skills that reflect ability to build and suc-cessfully implement long-term strategic plans that are supported by informed operational decisions.

Scoring Criteria for Head Coaches

Sr. No.	Parameters	Maximum Marks
1	Coaching Aptitude & Knowledge (including Rules & Regulation of the Game, Knowledge about High Performance Environment and knowledge about basic Sports Science)	10
2	Management and Administrative skills	6
3	Communication Skill	5
4	General Attitude	5
5	Basic Knowledge of Computer	4
	Total	30

JOB DESCRIPTION OF HEAD COACH :-

Responsibilities :-

Head Coach's roles vary hugely according to context, but typical work activities are likely to include:

Performance management:-

Evaluating performance and providing suitable feedback, balanc ing criticism with positivity and motivation.

Assessing strengths and weaknesses in an athlete's performance and identifying areas for further development.

Adapting to the needs and interests of group or individual trainees.

1.1.2 Communicating instructions and commands using clear, simple language.

1.1.3 Encouraging participants to gain and develop skills, knowledge and techniques.

1.1.4 Ensuring that trainees train and perform to a high standard of health and safety at all times.

1.1.5 Inspiring confidence and self-belief.

1.1.6 Developing knowledge and understanding of fitness, injury, sports psychology, nutrition and sports science.

1.1.7 Working with IT-based resources to monitor and measure performance.

1.1.8 Acting as a role model, gaining the respect and trust of the people.

1.1.9 Liaising with other partners in performance management, such as Coaches, Physiotherapists, Doctors and Nutritionists.

1.1.10 Working to a high legal and ethical standard at all times, particularly in relation to issues such as child safeguarding gender equality and health and safety requirements including protection from sexual harassment.

PLANNING AND ADMINISTRATION :-

1.1.11 Producing personalized training programmes.

1.1.12 Maintaining records of trainees performance.

1.1.13 Coordinating trainees attendance at meetings and other sports events

1.1.14 Planning and running programmes of activities for groups and individuals.

1.1.15 Co-coordinating with other coaches for transporting trainees to and from training sessions and sports events;

क्रमशः

1.1.16 Seeking and applying for sponsorship agreements by engaging all stakeholders.
1.1.17 Finding appropriate competitions for participants.
1.1.18 Planning work schedule in consultation with other coaches.

02. MASSEUR (Male) :

ESSENTIAL REQUIREMENTS

(a) EDUCATIONAL QUALIFICATIONS.

Passed 10+2 from a recognized board with a certificate course/skill development programe for Masseur/Masseuse/ Massage Therapy/Sports Masseur/ Masseuse from a recognized institution.

(b) WORK EXPERIENCE.

Minimum 2 years of work experience as Masseur/ Masseuse.

CRITERIA FOR SHORT LISTING OF CANDIDATES FOR INTER VIEW.

Of all the total applications received, short listing of candidates for the interview will be carried out on following basis:

CATEGORIES FOR EVALUATION	MAX MARKS	SCORING OF MARKS
Higher Educational Qualification	10	Diploma in massage therapy
Total Work Experience	10	2 marks will be awarded for every completed 1 year of work experience as a Masseur/ Masseuse up to a maximum of 10 marks
Work Experience in Sports Establishment.	10	Additional 2 marks will be awarded for every completed 1 year of work experience as Masseur /Masseuse at a recognized State/National level sports organization (Govt. or Private) working with teams/players up to a maximum of 10 marks.

INTERVIEW PROCESS;

The interview will be of 50 marks.

The shortlisted candidates will be called for the interview and assessed as follows:

CATEGORIES FOR EVALUATION	MAXIMUM MARKS (100marks)
Domain Expertise & Practical Knowledge	20
Aptitude for working in a sports organization	10
Soft skills	10
Knowledge in allied sports science disciplines	10

Age Limit: The candidate must not have attained 35 years of age as on the closing date of advertisement.

-: COMMON TERMS & CONDITIONS :-

a) Tenure:

The contractual engagement will be initially for a period of one year further extendable on the basis of satisfactory performance, periodic reviews, result oriented, etc. and at all times cotermi nous with the Director, Sports & Youth Welfare. The contract can be terminated by giving a 30 days' Notice period by either party, i.e. Director, Sports & Youth Welfare. or the employee. In cases of extreme impropriety by the employee, the contract will be ter minated immediately without prior notice.

b) Tax Deduction at Source:

The Income Tax or any other tax liable to be deducted, as per the prevailing rules will be deducted at source before effecting the payment, for which the Director, Sports & Youth Welfare will issue TDS/Service Tax Certificates, as applicable.

c) Other Allowances:

No TA/DA shall be admissible for joining the assignment or on its completion. No other facilities like DA, Accommodation, Residential Phone, Conveyance Transport, Personal Staff, Medical reimbursement, HRA and LTC etc. would be admissible.

d) Extension:

Performance of the selected candidates would be continuously reviewed and their extension will be considered on the basis of periodic review / requirement.

e) Leave:

Selected candidates will be entitled for 30 days leave in a calendar year on pro-rata basis. Thereafter, candidates shall not draw any remuneration in case of his/her absence beyond 30 days in a year. Also unveiled leave in a calendar year will lapse and will not be carried forward to the next calendar year.

CONFIDENTIALITY

a) Selected persons will not be allowed to publish a book or a compi lation of articles or participate in a radio broadcast or contribute an article or anonymously or pseudonymous in the name of any other person, if such book, article, broadcast, uses any informa tion that he/she may gather as part of this assignment.

b) During the period of engagement with Director, Sports & Youth Welfare, Employee would be subject to the provisions of the Indi an Official Secret Act, 1923 and will not divulge any information gathered by him/her during the period of his/her engagement to anyone who is not authorized to know.

c) The Selected personnel at no instance can represent or give opin ion or advice to others in any matter, which is adverse to the in terest of the Government.

OTHER CONDITIONS:-

a) The applications received will be scrutinized/shortlisted on the basis of relevant experience and job description and the eligible candidates will be called for Interview at cost to the applicant.

b) Candidates applied for more than one post will be interviewed only once.

c) In case he/she is required to proceed outstation from the place of posting on tour for official duty, he/she will be entitled to TA/DA as admissible under the rules.

d) In case the performance of Candidate is not found satisfacto ry, his/her services will be discontinued after giving one month notice.

e) Without any prejudice to the above condition, the candidate will be terminated from his services with immediate effect without any obligations, in case the candidate is found guilty of violating any of the conditions contained in the terms of employment or is guilty of any misconduct

f) including negligence of duties, unauthorized absence, etc. Deci sion of Director, Sports & Youth Welfare in all matters regard ing eligibility, selection and posting would be final and binding upon all candidates. No representation or correspondence will be entertained Director, Sports & Youth Welfare in this regard.

g) Director, Sports & Youth Welfare reserves the right to cancel the advertisement and/or the selection process at any stage without assigning any reason.

h) The Director, Sports & Youth Welfare shall be the final authority in case of any dispute.

i) The appointment will be purely on contract basis and does not confer any right to claim to permanent employment in Director, Sports & Youth Welfare.

क्रमशः

(पिछले पृष्ठ का शेष)

j) Any litigation matters pertaining to employment at Director, Sports & Youth Welfare shall be restricted to the jurisdiction of the Raipur courts.

k) Organization reserves the right to terminate the contract, by giving one month notice to Candidates.

l) Eligible and willing candidates may submit their applica tions in the prescribed Performa attached at Annexure A along with the Excel Sheet on or before 05.07.2025 till 05.30 PM by registered/speed post to Director, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010.

m) Owning to the requirement in Director, Sports & Youth Welfare, a list of panels may be drawn which will be valid for a period of one Year, Director, Sports & Youth Welfare reserve the right to cancel the panel without assigning any reason.

n) The date of birth, accepted by the Director, Sports & Youth Wel fare is that entered in the Matriculation/ Secondary examination will be accepted.

o) Scanned copy of No Objection Certificate from their present em ployer, in case working in Central/ State Government/ Autono mous Organizations on regular basis.

GENERAL INSTRUCTIONS

(All the instructions given below must be strictly followed or else the application is liable to be rejected)

WHO CAN APPLY:

Applications are invited only from Indian citizens who fulfil eli gibility criteria of essential educational qualification and essen tial work experience (as for norms).

1. After initial registration is completed online, the candidate must upload the following documents in the below mentioned order. Self- attested documents in PDF format are to be uploaded. CRITERIA FOR SHORT LISTING OF CANDIDATES FOR THE INTERVIEW: -Candidate will be shortlist in the ratio of 1:5 for which necessary documents to be attached along with the application.

How to Apply: The candidate has to apply only registered/speed post by submitting their applications (in proper format) on Di rector, Directorate, sports & youth welfare, Shardar Vallabh Bhai Patel International Hockey Stadium, Raipur, Pin Code 492010. Applications received through any other mode would not be ac cepted and summarily rejected.

LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS:

The schedule for applying online is given below:-

i. Opening date for submission of Application form from 10.00 AM 10-06-2025

ii. Closing date for Application form -05.07.2025 till 05.30 PM

Director of In Charge
Sports & Youth Welfare
Chhattisgarh, Raipur

R.O.63/G-252601475.3

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, स्वास्थ्य भवन, सेक्टर-19

नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर. छ.ग.

Phone No. 0771-2418990 E-Mail ID-dhscggazted@gmail.com

क्रमांक/एफः 01-20/2025/विज्ञप्त/825 नया रायपुर, दिनांकः 10/06/2025

//सूचना//

।। वर्ष 2025 में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को अनुबंध दो वर्ष की शासकीय सेवा का अवसर हेतु काउंसलिंग की सूचना ।।

विषयांतर्गत वर्ष 2025 में छत्तीसगढ़ के चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र-छात्राओं को उनके द्वारा किये गये अनुबंध अनुसार संविदा नियुक्ति हेतु पदस्थापना के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से दिनांक 13.06.2025 से 30.06.2025 तक Online Counseling आयोजित की गई है। संचालनालय चिकित्सा शिक्षा से प्राप्त सूची अनुसार उक्त काउंसलिंग में वर्ष 2025 में राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम उत्तीर्ण अनुबंधित छात्र-छात्रायें अनिवार्य रूप से भाग लेंगे (सूची संलग्न)।

काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाईन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC) रायपुर, छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं एवं चिकित्सा महाविद्यालयों के रिक्त पदो पर मेरिट के आधार पर पदस्थापना हेतु किये जायेगें। यदि कोई अभ्यर्थी Online Counseling में सम्मिलित नहीं होता अथवा विकल्प का चयन नहीं करने की स्थिति में अंतिम राउंड की काउंसलिंग के उपरांत उक्त अभ्यर्थीयों को आवश्यकतानुसार स्वतः पदस्थापना स्थल Software के माध्यम से आबंटित किया जावेगा।

उक्त काउंसलिंग की संपूर्ण प्रक्रिया, अभ्यर्थीयों की सूची, काउंसलिंग प्रक्रिया का विवरण (User Manual), काउंसलिंग का शेड्यूल एवं काउंसलिंग संबंधित अन्य जानकारी एवं विवरण हेतु अभ्यर्थी निरंतर विभागीय वेबसाईट www.cghealth.nic.in का अवलोकन करते रहें।

आयुक्त
सह संचालक
स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ

आर.ओ.64/जी-252601486.5

कार्यालय कलेक्टर

(महिला एवं बाल विकास विभाग) पांच बिल्डिंग परिसर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

Phone No.:-0788-2323704, E-Mail ID: dpodurg@gmail.com

क्रमांक / 801 / मबावि/स्थापना /2025-26 दुर्ग, दिनांक 10-6-25

मिशन वात्सल्य योजना के तहत जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं के रिक्त विभिन्न पदों को निरस्त किये जाने के संबंध में सूचना

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के तहत संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में अधिनियम के प्रावधानों के तहत संविदा पद स्वीकृत पदों में जिला स्तर एवं शासकीय बाल देखरेख संस्थाओं में विभिन्न आवश्यक पद रिक्त होने से कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के विज्ञापन कमांक 397/मबावि/मिशन वात्सल्य / 2023-24/दुर्ग, दिनांक 07.07.2023 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। जिला स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर कार्यालय कलेक्टर महिला एवं बाल विकास विभाग जिला दुर्ग के विज्ञापन क्रमांक 397/ मबावि/मिशन वात्सल्य /2023-24/ दुर्ग दिनांक 07.07.2023 को निरस्त किया जाता है।

क्र	संस्था का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3	4
1	जिला बाल संरक्षण इकाई, दुर्ग	जिला बाल संरक्षण अधिकारी	01
2		संरक्षण अधिकारी, गैर संस्थागत	01
3		विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी	01
4		लेखापाल	01
5		आउटरीच वर्कर	01
6	बाल सम्प्रेक्षण गृह, दुर्ग	स्टोर कीपर सह लेखापाल	01
7		सहायक रसोईया	01
8	प्लेस ऑफ सेफ्टी, दुर्ग	परिवीक्षा अधिकारी	01
9	विशेष गृह, दुर्ग	सहायक रसोईया	01
10	बालगृह, दुर्ग	रसोईया	01
	कुल		10

विज्ञापन निरस्त करने की सूचना जिले की वेबसाईट www.durg.gov.in एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला-दुर्ग के सूचना पटल पर अवलोकन किया जा सकता है।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
महिला एवं बाल विकास विभाग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

आर.ओ.65/जी-252601511.4

GOVT. GIRLS POLYTECHNIC

Byron Bazar, Raipur-492 001, C.G.

शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक बैरन बाजार, रायपुर (छ.ग.) 492 001

SCHEME FOR INTEGRATING PERSONS WITH DISABILITY (PWD)

निःशक्तजन परियोजना

Web Site:- http://ggpraipur.ac.in E Mail:- principal.ggpraipur@gmail.com

Phone:0771-2423045

क्रमांक / शाकपॉरा/पीडब्लूडी/2025/1219 रायपुर दिनांक 05/06/2025

प्रवेश सूचना, त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यकमों में प्रवेश हेतु

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार द्वारा प्रवर्तित निःशक्तजन (दिव्यांगजन) परियोजनांतर्गत, शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक रायपुर में सत्र 2025-26 में त्रिवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम की निम्नलिखित ब्रांच में प्रवेश हेतु पोलियोग्रस्त अथवा अस्थि बाधित दिव्यांगजन छात्रायें अपना दिव्यांगता दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर निःशुल्क आवेदन पत्र संस्था के निःशक्तजन (दिव्यांगजन) परियोजना कार्यालय से कार्यालयीन समय में प्राप्त कर सकते है। आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं भरकर वापस कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 25/06/2025 निर्धारित की गई है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा। आवेदिका की आयु 01 जुलाई 2025 की स्थिति में 38 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए, इन अतिरिक्त कुल 25 सीट में 05 सीट अनुसूचित जनजाति, 04 सीट अनुसूचित जाति एवं 03 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग (कीमिलेयर छोड़कर) की दिव्यांग छात्राओं हेतु आरक्षित है। जाति के आधार पर आरक्षण पर का लाभ लेने वाले उम्मीद्वार का स्थायी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा। उक्त सीटें पी.पी.टी. के मेरिट के आधार पर नही भरी जायेंगी। उक्त सीटों में प्रवेश हेतु पृथक से आवेदन करना अनिवार्य है तथा शासन द्वारा मिलने वाली अन्य सुविधाएँ नियमानुसार प्रदान की जावेंगी ।

ब्रांचवार रिक्त सीट एवं इस हेतु आवश्यक योग्यता का विवरण :-

क्रमांक	ब्रांच का नाम	सीटों की संख्या	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता
01	• इलेक्ट्रानिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन • कम्प्यूटर साइंस • इनफॉरमेशन टेक्नॉलॉजी • आर्कीटेक्चर	04 04 04 02	छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर के अंतर्गत 10 वी कक्षा की परीक्षा (हाईस्कूल परीक्षा) गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है । **अथवा** किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित समकक्ष परीक्षा गणित एवं विज्ञान विषय के साथ उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
02	• कस्ट्यूम डिजाईन एंड ड्रेस मेकिंग • इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाईन	04 03	छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर के अंतर्गत 10 वी कक्षा की परीक्षा (हाईस्कूल परीक्षा) अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
03	• माडर्न आफिस मैनेजमेंट	04	छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल, रायपुर के (10+2) 12वीं की परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा किसी भी विषय समूह से उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

प्राचार्य एवं मुख्य समन्वयक
शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक
रायपुर (छ.ग)

आर.ओ.67/जी-252601423.3

संचालनालय कृषि, रायपुर (छत्तीसगढ़)

क्र/एक्स.रि./खू.ब.पु./2025-26/59 नवा रायपुर, दिनांक 14/05/2025

सूचना

डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार हेतु आवेदन आमंत्रण

छ.ग. शासन, कृषि विभाग के अधिसूचना क्रमांक/4326/कृषि/2001 रायपुर, दिनांक 17.10.2001 एवं अधिसूचना क्रमांक/2310/बी-6-26/2004/14-2 दिनांक 08 जून, 2007 तथा पत्र क्रमांक /2607/एफ-6-26/पुर./2004/14-2 रायपुर, दिनांक 08.07.2011 द्वारा दी गई सहमति तथा अधिसूचना क्र/1128/बी-6-26/खू.ब./2015/14-2 दिनांक 08.06.2015 द्वारा किये गये संशोधन अनुसार **वर्ष 2025 हेतु 'डॉ. खूबचंद बघेल, कृषक रत्न पुरस्कार** के लिए कृषकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र संबंधित जिला के उप संचालक कृषि कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र संबंधित जिले के उप संचालक कृषि, कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2025 है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

उक्त सूचना की संपूर्ण जानकारी कृषि विभाग के वेबसाईट (Website) www.agriportal.cg.nic.in पर उपलब्ध है।

संचालक
कृषि, छ.ग. रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

दूरभाष (का.) 0771-2439564, 0771-2331204, वेबसाईट: www.psc.cg.gov.in

क्रमांक/1/39361/2025/01/परीक्षा/2025 रायपुर, दिनांक 28-05-2025

सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 के संबंध में दिव्यांगजनों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

आयोग के विज्ञापन क्र. 01/2025/परीक्षा दिनांक 03.03.2025 एवं शुद्धि पत्र क्रमांक 03/2025/परीक्षा/दिनांक 11.04.2025 के तहत सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 की लिखित परीक्षा दिनांक 06 जुलाई 2025 को जिला- सरगुजा (अम्बिकापुर), बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर (जगदलपुर) एवं रायपुर (छ.ग.) के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जानी है, 02/ सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 में दिव्यांगजनों को सह-लेखक की सुविधा दिये जाने/अथवा रखे जाने की अनुमति दिये जाने संबंधी निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये हैः-

(i) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते है अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते है।

(ii) स्वयं के अथवा जिला कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय विज्ञापन के परिशिष्ट-चार, पांच, छः व सात के अनुसार उपलब्ध प्रपत्र 1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 प्राप्त कर, प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परिक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर प्राप्त कर जिला कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनो हीं स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

(iii) नेत्रहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैंचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। परिशिष्ट पांच से आठ तक उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र 3 एवं प्रपत्र-4 के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी।

जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी। (विस्तृत निर्देश एवं प्रपत्र हेतु आयोग विज्ञापन क्रमांक विज्ञापन क्र. 01/2025/परीक्षा दिनांक 03.03.2025 का भलीभांति अध्ययन कर लेवें)।

3/अभ्यर्थी एवं उनके सहलेखक द्वारा सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक (वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)-2025 में केल्क्यूलेटर का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। अभ्यर्थी एवं सहलेखक को अपने साथ डिजिटल डायरी, केल्क्यूलेटर, सेल्युलर फोन, पेजर और स्मार्ट वॉच लाना पूर्णतः प्रतिबंधित है।

4/परीक्षा परिसर में एवं भवन के अंदर वीक्षक व केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये जाने वाले निर्देशों का पालन अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी केन्द्राध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन नहीं करता है/अशिष्ट, उद्दण्ड आचरण करता है/अनुचित/अशोभनीय या अश्लील व्यवहार करता है तो वह परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा एवं उसकी परीक्षा निरस्त की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त परीक्षार्थी ऐसे दण्ड का भी भागी होगा, जो आयोग उचित समझे।

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग
नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, रायपुर

(प्रथम तल, वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़)

(ई-मेल-excise.comm.cg@gov.in फोन नं. 0771-2512612 वेबसाईट https://excise.cg.nic.in)

क्रमांक / आब./स्था (अराज.)/2025/2878 — नवा रायपुर, दिनांक 05/05/2025

// संशोधित विस्तृत विज्ञापन //

1. आबकारी विभाग के अंतर्गत आबकारी आरक्षक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम से किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधीनस्थ तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम, 2018 (यथासंशोधित) तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी की गयी अधिसूचनाओं / परिपत्रों में उल्लेखित प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग द्वारा प्रदत्त अनुमति के अन्तर्गत केवल छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर की वेबसाईट- https://vyapamcgstate.gov.in पर आमंत्रित किये जाते है।
2. रिक्त पदों की वर्गवार संख्या एवं वेतनमान का विवरण।

रिक्त पदों का विवरण

क्र	पद का नाम	वर्गीकरण	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए वर्गवार आरक्षित पद				कुल योग रिक्तियों में से दिव्यांगजन के लिए आरक्षित पद	योग	वेतन मेट्रिक्स
			अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)	अ. ना.	अ. जा.	अ. ज. जा	अ.पि. व (गैर क्रीमी लेयर)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	आबकारी आरक्षक	तृतीय श्रेणी	84	24	64	28	25	7	19	8	8	2	6	2	0	200	वेतन मेट्रिक्स लेवल-4 (5200-20200 +1900

3. **पात्रता संबंधी शर्ते :-**
1. आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
2. प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए केवल वे ही अभ्यर्थी पात्र होंगे, जो निम्नांकित अर्हताएं रखते हों. अर्थात् :-

(1) न्यूनतम शैक्षणिक अर्हतायेः-किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) की परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(II) शारीरिक अर्हताये :- आवेदक जो निम्नलिखित शारीरिक योग्यता पूर्ण करते हों :-

मापदण्ड	पुरूष कर्मचारियों के लिये	महिला कर्मचारियों के लिये
ऊँचाई	167.5 सेंटीमीटर अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये ऊँचाई 165 से.मी.	152.4 (से.मी.)
सीना	81 सें.मी. (सामान्य स्थिति में)	-
	86 सें.मी. (फुलाने पर)	-

4. आयु सीमा :-

(क) आवेदक ने 01 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से पूर्ण कर ली हो किन्तु अधिकतम आयु 30 वर्ष से अधिक न हो। परन्तु छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3-2/2015/1-3, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 18.01.2024 में दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारो के हित को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गयी 05 वर्ष की छूट अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 अर्थात 05 वर्ष तक बढ़ाया गया है, अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत रहेगी। उक्त निर्देशानुसार आवेदन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी।

(ख) ऊपर विहित हित अधिकतम आयु सीमा में निम्नलिखित आयु सीमा तक छूट दी जा सकेगी।

(1) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमी लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी :-

(2) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी उच्चतर आयु सीमा, अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(3) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-

(1) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(ii) ऐसा अभ्यर्थी, जो ₹छंटनी किया गया शासकीय (सेवक) हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण- शब्द छंटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुवत किया गया हो;

(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, यह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः- शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गयी हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो. अर्थातः-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया होः

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्ते पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो. (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल है);

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब

क्रमशः

दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(घ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ड) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाघूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(च) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम / मण्डल के कर्मचारी है, उच्चतर आयु सीमा, 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(छ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ज) अभ्यर्थियों, जिन्हें उनके प्रवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति /महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत, अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(झ) उपरोक्त के अलावा आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप- (1) ऐसे अभ्यर्थी (जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो) जिन्हें उपरोक्त बिन्दु 4 के खण्ड (ख) के उप खण्ड (३) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात, या तो परीक्षा/ चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक/एफ 3-2/2002/1-3, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर दिनांक 30.01.2012 में दिये गये निर्देशानुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाये जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है, यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(3) किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(**महत्वपूर्ण टीप :-** सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। आयु की पुष्टि मूल अभिलेखों से परीक्षण के दौरान 10 वीं की मार्कशीट द्वारा की जावेगी। यदि आवेदक द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत किया जाना पाया गया तो उम्मीदवारी निरस्त मानी जायेगी।)

5. निरर्हताः-

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/ चयन में उपस्थित होने के लिये निरर्हता माना जायेगा।

(2) कोई भी पुरुष पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो. किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण है. तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जाँच जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध के लिये सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

उपरोक्त नियम के परिपेक्ष्य में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिसके विरूद्ध बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि से संबंधित नैतिक अद्योपतन की श्रेणी में आने वाले अपराध-भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 354, 376, 376 (क), 376 (ख), 376 (ग), 376 (घ), 509, 493, 496 एवं 498 तथा लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) 2012 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज हो उन्हे शासकीय सेवाओं एवं पदो पर नियुक्ति हेतु प्रकरण के अंतिम निर्णय होने तक प्रतिबंधित किया जावे। (छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-1/2017/1-3 नवा रायपुर दिनांक 11.09. 2023)

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा-

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को चयन सूची भेजने के बाद भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

6. नियम शर्ते एवं प्रक्रियाए

(6.1) उक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा आयोजित की जायेगी।

(6.2) चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी प्राधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

(6.3) चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति के समय समस्त प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। सत्यापन उपरांत ही नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा।

(6.4) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी की वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं को पूर्ण करता है।

(6.5) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यलयों में कार्यरत कर्मचारियों की चयन की स्थिति में नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तुत करना होगा।

(6.6) यदि आवेदक द्वारा नकली अथवा जाली दस्तावेज प्रस्तुत कर अथवा मिथ्या घोषणा पत्र भरकर, परीक्षा में शामिल होने का प्रयास किया गया, तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(6.7) परीक्षार्थी को अपने मुख्यालय से परीक्षा केन्द्र तक आने तथा वापसी हेतु कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जायेगा।

(6.8) परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश पत्र दिखाना अनिवार्य होगा, बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। परीक्षार्थियों को रोल नं. आबंटित किया जावेगा। परीक्षार्थियों को कहीं भी प्रश्न पत्र एवं उत्तर पुस्तिका में अपना नाम पदनाम लिखना पूर्णतः वर्जित रहेगा, केवल आबंटित रोल नं. लिखना आवश्यक होगा।

(6.9) परीक्षा के दौरान मोबाईल एवं किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रानिक गैजेट्स का प्रयोग वर्जित रहेगा।

(6.10) आवेदकों को परीक्षा केन्द्र में शांति एवं अनुशासन बनाये रखना होगा, अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(6.11) परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र में केन्द्र अधीक्षक द्वारा दिये गये निर्देशों का सभी आवेदक पालन करेंगे। यदि किसी आवेदक द्वारा अवहेलना किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है तो, उसे चयन हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकेगा।

(6.12) यदि किसी आवेदक द्वारा परीक्षा के दौरान नकल करने अथवा अन्य अवैधानिक अनुचित तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु प्रयास करने का कोई प्रकरण प्रकाश में आता है, तो संबंधित आवेदक को तत्काल परीक्षा केन्द्र से बाहर निकाल दिया जावेगा, और उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. परीक्षा आयोजन हेतु क्रार्यक्रम-

4. परीक्षा पद्धति

(1) लिखित परीक्षा में एक प्रश्न पत्र होगा।

(2) प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा।

(3) प्रश्न पत्र कुल 100 अंको का होगा।

(4) सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय होंगे।

(5) लिखित परीक्षा की कुल अवधि 02:00 घंटे की होगी।

(6) समस्त प्रश्न हायर सेकेण्डरी (10+2) स्तर के पूछे जायेंगे।

5. मूल्यांकन पद्धतिः- प्रत्येक प्रश्न के चार संभावित उत्तर दिये गये होंगे उनमें से एक उत्तर सही तथा तीन उत्तर गलत होंगे। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर अंकित करने पर 01 अंक एवं गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर (-) ऋणात्मक अंक का प्रावधान होने से एक गलत उत्तर होने पर 1/4 अंक काटा जायेगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये

क्रमशः

जायेंगे उनके लिए शून्य (Zero) अंक प्रदान किये जायेंगे।

6. परीक्षा पाठ्यक्रम

(क) सामान्य अध्ययन (33 अंक/33 प्रश्न)

8. भारत का इतिहास एवं भारत का स्वतंत्रता आंदोलन।
9. भारत का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल।
10. भारत का संविधान एवं राज व्यवस्था।
11. भारत की अर्थव्यवस्था ।
12. सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी।
13. भारतीय दर्शन, कला साहित्य एवं संस्कृति।
14. समसामयिक घटनाएं एवं खेलकूद।

(ख) छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान (33 अंक/33 प्रश्न)

8. छत्तीसगढ़ का इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान।
9. छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाएं, जणगणना, पुरातात्विक एवं पर्यटन केन्द्र।
10. छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति।
11. छत्तीसगढ़ की जनजातियां।
12. छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था।
13. छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज।
14. छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं

(ग) प्रारंभिक अंक गणित- (07 अंक/07 प्रश्न)
(घ) सामान्य हिन्दी-व्याकरण के संदर्भ में (07 अंक/07 प्रश्न)
(ड़) छत्तीसगढ़ी बोली का ज्ञान- (07 अंक/07 प्रश्न)
(च) तार्किक एवं बौद्धिक क्षमता- (07 अंक/07 प्रश्न)
(छ) सामान्य अंग्रेजी का ज्ञान- (06 अंक/06 प्रश्न)

8. महत्वपूर्ण टीप :-

(i) छत्तीसगढ़ शासन समाज कल्याण विभाग मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 1-21/2014/सक/26 दिनांक 25 सितम्बर 2014 के अनुसार आवेदित पद के लिए निःशक्तता अमान्य की गई है। अतः निःशक्त (दिव्यांग) आवेदक आबकारी आरक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में आवेदन करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

(ii) विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(iii) विस्तृत विज्ञापन पाठ्यक्रम, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, ऑनलाईन आवेदन, परीक्षा की तिथि, समय एवं केन्द्र तथा अन्य जानकारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाईट https://vyapameg.egstate.gov.in पर उपलब्ध है।

(iv) उपरोक्त विज्ञापित पदों पर की जाने वाली चयन प्रक्रियाये माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

(v) विज्ञापित पदों पर भर्ती की कार्यवाही एवं प्रक्रिया प्रशासकीय कारणों से कभी भी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी, इसके लिए कोई कारण बताना आवश्यक नहीं होगा।

(vi) आरक्षण का लाभ केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्राप्त होगा तथा सभी प्रकार की आयु में छूट (विधवा, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक इत्यादि) स्थानीय निवासियों को ही प्राप्त होगी।

(vii) पंजीकृत डॉक एवं स्पीड पोस्ट से भेजे जाने वाले आवेदन मान्य नहीं किये जायेंगे।

9. विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते / महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interprta tion):- इस विज्ञापन में उल्लेखित शर्ते महत्त्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी का रहेगा किसी भी विवाद/शिकायत/आपत्ति पर नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा एवं अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

10. परीक्षा निर्देश :- व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा संबंधी विस्तृत निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की वेबसाईट- https://vyapameg.cg state.gov.in पर उपलब्ध है।

(आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित) अपर आयुक्त आबकारी
छत्तीसगढ़, रायपुर

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002

Phone No. 0771-2972780 Website- vyapamcg.cgstate.gov.in

व्यापम परीक्षा निर्देश

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर के अंतर्गत आबकारी आरक्षक पदों की भर्ती परीक्षा (ABA25)

1.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि -	04.06.2025 (बुधवार)
2.	ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि-	27.06.2025 सायं 5:00 बजे तक
3.	त्रुटि सुधार-	28.06.2025 से 30.06.2025 सायं 5:00 बजे तक
4.	परीक्षा की संभावित तिथि-	27.07.2025 (रविवार)
5.	परीक्षा का समय-	पूर्वान्ह
6.	प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि-	21.07.2025
7.	परीक्षा केन्द्र-	33 जिला मुख्यालयों में

महत्वपूर्ण टीप -

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार-बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी ।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि सम्बंधी प्रमाण-पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे है। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन भरने से पूर्व सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें ।
3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो, उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 03 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा ।
4. अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जायेगा । किसी भी स्तर पर व्यापम द्वारा कोई सुधार नहीं किया जायेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन भरते समय, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को SUBMIT करने हेतु अनिवार्य रूप से SUBMIT बटन दबाएँ अन्यथा परीक्षा शुल्क भुगतान के बावजूद भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी।
6. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक ₹SUBMIT₹ करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व कोई त्रुटि हो तो स्वयं से सुधार कर लें।
7. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़े तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें।
8. अभ्यर्थी का वैध E-mail (ई मेल) आई.डी. होना आवश्यक है। अतः अभ्यर्थी अपना E-mail अवश्य बनाकर तैयार रखे ।
9. व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in में नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ फोटो jpg/jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें) साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग jpg/jpeg फार्मेंट में फाइल के रूप में रखे। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें।
10. **परीक्षा शुल्क के सम्बंध में:-** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5-20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था / व्यापम /2015/रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है।

सामान्य वर्ग	**-रु. 350.00**
अन्य पिछड़ा वर्ग	**-रु. 250.00**
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	**-रू. 200.00**

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. क्रमांक RULE -8/2/2024-GAD-1 दिनांक 21.04.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. **प्रोफाइल संबधित जानकारी-**
अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की जानकारियों को अवश्य जाँच ले तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें। जिस अभ्यर्थी का प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) व्यापम पोर्टल में नहीं है. उसे सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करना होगा।
2. **पात्रता :-**
आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो

क्रमशः

विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

3. ऑनलाइन आवेदन करने की विधि :-

ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम वेबसाइट के Instructions to fill the FORM लिंक पर उपलब्ध है।

4. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि -

4.1 मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में सुधार करना होगा, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होगी। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी अतिरिक्त 03 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया गया है।

4.1 ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही व्यापम स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

5. प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-

परीक्षा के लगभग 07 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय / सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है।

पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

6. हेल्प लाइन संबंधी जानकारी :

ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

7. पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी :-

परीक्षा हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व्यापम वेबसाइट के Syllabus लिंक पर उपलब्ध है।

8. परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-

परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं

(1) प्रवेश पत्र

(2) काला या नीला बाल पॉइंट पेन

(3) फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र / ड्रायविंग लायसेंस / पेन कार्ड/ आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि की मूलप्रति

फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

नोट- (अ) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, पाउच, स्कार्फ आदि लाना पूर्णत वर्जित है।

(ब) परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 01 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे. जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके ।

9. परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति -

9.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड स्टिकर संलग्न है। परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को ओएमआर शीट पर, दूसरे बार कोड स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।

9.2 प्रश्नपत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा। दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है तदानुसार नियत अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किया जाएगा।

10. दावा/आपत्ति का निराकरण :-

10.1 व्यापम वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई डी) एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी।

10.2 परीक्षा उपरांत व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा/आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) दर्ज करना होगा।

10.3 ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न रू. 50/- शुल्क (ऑनलाइन के माध्यम से) देना होगा। शुल्क भुगतान के बिना दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा ।

10.4 डाक/ई-मेल द्वारा या व्यापम भवन में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10.5 दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल व्यापम वेबसाइट पर उपलब्ध है।

10.6 दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें।

10.7 बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को अमान्य किया जावेगा।

10.8 प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा / आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा।

10.9 प्राप्त दावा/आपत्ति का व्यापम स्तर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाता है। परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तदानुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा।

10.10 अंतिम उत्तर के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ।

10.11 परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

11. त्रुटि पूर्ण प्रश्न का विलोपन संबंधी :-

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न विलोपित किए जा सकते है-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,
2. कोई भी विकल्प सही न हो,
3. किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो.
4. मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

नोटः विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आबंटित अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जायेगा ।

एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में -

ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा ।

12. परीक्षा परिणाम :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

13. पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :-

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

14. क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) -

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन/चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया व्यापम द्वारा नहीं किया जाता है।

15. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नामः-

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774–230921
2	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	12	शासकीय महाविद्यालय, बैकुण्ठपुर (कोरिया)	07836–232252
3	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752–246430
4	दंतेवाड़ा	14	शासकीय दंतेश्वरी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दंतेवाड़ा	07856–240087
5	धमतरी	15	बाबू छोटेलाल शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, धमतरी	07722–237933
6	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.,दुर्ग	0788–2211688
7	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782–229340
8	जांजगीर–चांपा	18	शासकीय पी.जी. टी.सी.एल. महाविद्यालय, जांजगीर–चांपा	07817–222240
9	जशपुर नगर	19	शासकीय पी.जी.एन.ई.एस. महाविद्यालय, जशपुर नगर	07763–223539
10	कांकेर	20	भानुप्रतापदेव शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कांकेर	07868–222028
11	कबीरधाम	21	आचार्य पंथ श्री गृंधमुनि नाम साहेब शास. महा, कबीरधाम	07741–232496
12	कोरबा	22	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	07759–221458
13	महासमुंद	23	शासकीय महाविद्यालय, महासमुंद	07723–222048
14	रायगढ़	24	किरोड़ीमल शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़	07762–222966
15	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771–2263131
16	राजनांदगॉव	26	शासकीय पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगॉव	07744–225036
17	बीजापुर	27	शासकीय महाविद्यालय, बीजापुर	94242–93022
18	नारायणपुर	28	शासकीय महाविद्यालय, नारायणपुर	94252–98192
19	गरियाबंद	29	शासकीय महाविद्यालय, गरियाबंद	94077–30011
20	बलौदा बाजार	30	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बलौदा बाजार	94255–23895
21	बालोद	31	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बालोद	94256–38175
22	बेमेतरा	32	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, बेमेतरा	94241–28570
23	मुंगेली	33	शासकीय महाविद्यालय, मुंगेली	94255–43065
24	कोण्डागॉव	34	शासकीय महाविद्यालय, कोण्डागॉव	94255–95895
25	सूरजपुर	35	शासकीय महाविद्यालय, सूरजपुर	07775–266657
26	बलरामपुर	36	शासकीय महाविद्यालय, बलरामपुर	98268–79840
27	सुकमा	37	शासकीय महाविद्यालय, सुकमा	94252–60241
28	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	38	शा. भंवर सिंह पोर्ते, स्नातकोत्तर महा., पेण्ड्रा	9993825510
29	मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी (एम.एम.ए.)	39	शासकीय महाविद्यालय, मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी	94255–93004
30	सक्ती (एस.)	40	शासकीय महाविद्यालय, सक्ती	94241–58552
31	सारंगढ़–बिलाईगढ़	41	शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय स्ना.महाविद्यालय, सारंगढ़, सारंगढ़–बिलाईगढ़	94252–30804
32	मनेंद्रगढ़–चिरमिरि–भरतपुर (एम.सी.बी.)	42	शासकीय स्ना.महाविद्यालय, मनेंद्रगढ़–चिरमिरि–भरतपुर (एम.सी.बी.)	95794–55121
33	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	43	रानी रश्मिदेवी महाविद्यालय, खैरागढ़	76971–72640

नियंत्रक
छ.ग. व्यापम, नवा रायपुर

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग

शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर

-: संशोधित विज्ञापन :-

तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) एवं उपअभियंता (वि./यां.) के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन परीक्षा

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020 दिनांक 29.10.2024 द्वारा द्वारा जल संसाधन विभाग के अंतर्गत सीधी भर्ती के राज्य स्तरीय पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) के माध्यम से लिखित चयन परीक्षा आयोजित कर उपअभियंता (सिविल) के 100, उपअभियंता (वि./ यां.) के 15 रिक्त पदों की पूर्ति हेतु भर्ती किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 1565/F-2015-04-02007/ब-4/ चार, दिनांक 14.05.2024 एवं छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 13-1 /2024/आ.प्र./1-3, दिनांक 31.05.2024 द्वारा सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी करते हुए दिव्यांजगनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को दिनांक 31.03.2025 तक के लिए समाप्त किया गया है। जिन्हें छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के अधीन एवं राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भरे जाने है। सीधी भर्ती के तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) एवं उपअभियंता (वि./यां.) के राज्य स्तरीय निम्नलिखित पद संवर्ग के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु छत्तीसगढ़ के पात्र स्थानीय निवासियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नवा रायपुर अटल नगर के वेबसाईट पर आमंत्रित किये जाते हैं, परीक्षा संबंधी जानकारी छत्तीसगढ़ व्यापम की वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध रहेगी, विस्तृत विज्ञापन में कुल रिक्तियों की संख्या/आरक्षित पदों की संख्या में संशोधन करते हुए छत्तीसगढ़ के स्थानीय पात्र निवासियों से छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने है। पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

रिक्त पदों का विवरण

1. उपअभियंता (सिविल)

पदनाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगो के लिए आरक्षित पदों की संख्या	योग
	अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उपअभियंता (सिविल) (बैकलॉग)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	01	01	05 OA, OL-03 (Ose Arm. One HH=02 (Hard Of Hearing)	08
उपअभियंता (सिविल) (नियमित)	41	12	31	13	12	03	09	03	04	01	03	01	07 OA, OL =03 (One Arm, One Lleg HH-04 (Hard Of Hearing)	97

2. उपअभियंता(वि/यां)

पदनाम	कुल रिक्तियों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कुल रिक्त पदों में से दिव्यांगो के लिए आरक्षित योग पदों की संख्या	योग
	अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव	अना	अजा	अजजा	अपिव		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
उपअभियंता (वि./यां.) (बैकलॉग)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01	04	01	01 HIH-01 (Hard Of Hearing)	07
उपअभियंता (वि/या) (नियमित)	04	01	03	01	01	0	0	0	0	0	0	0	01 OL=01 (One Leg)	09

1. परीक्षा तिथि 20.07.2025

2. नियम एवं शर्ते -

विज्ञापित किये जाने वाले पद का वेतनमान एवं शैक्षणिक योग्यता :-

स.क्र	पद का नाम	वेतन मैट्रिक
1	2	3
1	उपअभियंता (सिविल) (बैकलॉग पद)	35400-112400 लेवल-8
2	उपअभियंता (सिविल) (नियमित पद)	35400-112400 लेवल-8
3	उपअभियंता (वि./यां.) (बैकलॉग पद)	35400-112400 लेवल-8
4	उपअभियंता (वि./ यां.) (नियमित पद)	35400-112400 लेवल-8

2. उपअभियंता (सिविल) पद की शैक्षणिक योग्यता :-

3. भर्ती का तरीका

(1) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री।

उपअभियंता (वि./यां.) पद की शैक्षणिक योग्यता :-

(1) राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिप्लोमा/डिग्री।

(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल

क्रमशः

हैसियत में धारण करते हो जैसा कि निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या अनुसूची-एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा में किसी भी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सरकार के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप-नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीको को छोड़, जिनको उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिए आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिए एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों औरं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधति) लागू होंगे।

4. सेवा में नियुक्तिः इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 2 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

5. सीधी भर्ती के लिए पात्रता की शर्तेः सीधी भर्ती / चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

(एक) आयु -

(क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु 30 वर्ष पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पांच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधो के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी है अथवा रह चुके है, नीचे निविर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :-

(एक) ऐसा अभ्यर्थी जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये,

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी.

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी जो छटनी किया गया शासकीय सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएंगे, परंतु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः शब्द छटनी किये गये शासकीय सेवक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्ही भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व पदस्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरणः शब्द भूतपूर्व सैनिक से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो. तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो, अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो अर्थात-

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें-

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है),

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो.

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवान्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव, आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में जो छत्तीसगढ़ राज्य / निगम / मण्डल के कर्मचारी है उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा पूर्व में, इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप (1) छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अरापत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के उपनियम-8 के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा / चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले, में ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नही होगी।

(ट) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर का परिपत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3 दिनांक 18.01.2024 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगारों के हित को दृष्टिगत रखते हुये. राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई 05 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 01.01.2024 से 31.12.2028 तक अर्थात 05 वर्ष तक बढ़ाया जाता है। अन्य विशेष वर्गों के लिये अधिकतम आयु सीमा में देय सभी छूट यथावत् रहेंगी, किन्तु सभी छूटों को मिला कर उनके लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हतायेंः अभ्यर्थी के पास सेवा के लिए विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसे कि छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती

क्रमशः

नियम, 2016 के अनुसूची-तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क -

(क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किये गये हो को स्वस्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

6. निरर्हता -

(1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किन्ही भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा / चयन हेतु उपस्थित होने के लिए निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगीः

परंतु यदि शासन का यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के विशेष कारण है तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वस्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ्य, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो, से मुक्त घोषित न कर दिया जाये :

परंतु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं त्तकाल समाप्त की जा सकेगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसी कि आवश्यक समझे, के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगाः

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लम्बित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप में अवधारित न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

7. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा-**

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा / साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी. यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पाई गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

8. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती -**

(1) प्रतियोगी परीक्षा / चयन / साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती :-

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची-तीन के कॉलम (6) में उल्लिखित अनुसार तीन सदस्य सम्मिलित होंगें।

(दो) सेवा में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालो पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य है, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 के नियम-12 में निर्दिष्ट सूची में आये हो चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षित रैंक कुछ भी क्यो न हो।

(4) अनुसूचित जातियो, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिए पात्र घोषित किया गया हो, उप-नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधो के अनुसार 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(6) ऐसे मामलों, में जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है, और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा।

9. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची -**

(1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हो, जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों (गैर-क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची, जो आरक्षण के फलस्वरूप ऐसे स्तर से अर्हित हो, मैरिट क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेंगी तथा उक्त सूची की वैधता नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति हेतु सूची भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उपरोक्त उल्लेखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए चयन समिति, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ वर्ष होगी।

(3) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयारी की गई सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधो के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिए कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी की वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) कोई अभ्यर्थी जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्याग पत्र देने या किन्हीं अन्य कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

10. **चयन की प्रक्रिया :-**

1. उपरोक्त पदों पर चयन प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा किया जावेगा, जो छत्तीसगढ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा आयोजित की जावेगी।
2. समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की जन्मतिथि को आधार मानकार वरीयता प्रदान की जायेगी, जिन अभ्यर्थियों की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को होगा।
4. चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. चयनित उम्मीदवार को पुलिस व्हेरीफिकेशन कराने तथा जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी सक्षमता फिटनेस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जाएगा।
6. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, अतएव नियुक्ति की शर्तों के अनुसार किसी भी समय आवेदक की सेवाएं समाप्त की जा सकती है।
7. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ राज्य के लिए है, अतएव चयनित उम्मीदवार को रिक्तियों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी जिले में पदस्थापना दी जावेगी।
8. जाति के समर्थन में उम्मीदवार को शासन के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। नियुक्ति होने पर अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग की उच्च स्तरीय छानबीन समिति से सत्यापित जाति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

क्रमशः

9. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन की तिथि को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। इसका प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना है।
10. शासकीय / अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।
11. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवार को कोई भी सूचना नहीं दी जावेगी तथा निर्धारित आवेदन प्रारूप अनुसार ही आवेदन मान्य किये जायेंगे।
12 किसी भी वर्ग के पदों की संभावित रिक्तियों की संख्या में स्थिति के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है।
13. जन्मतिथि के प्रमाणीकरण हेतु हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा ।
14. भर्ती प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लिये जाने का अधिकार नियुक्तिकर्ता अधिकारी के पास सुरक्षित रहेंगे।
15. प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर प्रतियोगिता परीक्षा हेतु एडमिट कार्ड जारी किये जाएंगे जो व्यापमं के वेबसाईट से ऑनलाईन प्राप्त कर सकते है।
16. अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्तानुसार रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन की तिथि को निर्धारित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर समस्त प्रमाण-पत्र (अंकसूची) प्राप्त कर लिया गया हो।
17. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं एवं शर्तों को पूरा करते है, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित किये जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है, चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी।
18. दिव्यांगजनों के हेतु आरक्षण के लिए दिव्यांगता (एचएच = ऊंचा सुनने वाला, ओए = एक भुजा, ओएल = एक पैर) है, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत दिव्यांगता से ग्रस्त हो, आवेदक को सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्र. एफ 13-4/2023/आ.प्र./1-3, दिनांक 29.05.2023 अनुसार नियुक्ति के पूर्व संबंधित मेडिकल बोर्ड से दिव्यांग प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड का परीक्षण / सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जायेगा।
19. महिलाओं के आरक्षण की गणना छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-2/2014/आ.प्र./1-3 दिनांक 14.07.2017 के अनुसार दशमलव के अंक को मान्य नहीं करते हुये केवल पूर्णांकों को लिया गया है।

11. परिवीक्षा

(1) (क) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 372/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 29.07.2020 (वित्त निर्देश 21/2020) एवं छत्तीसगढ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्र. 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 (वित्त निर्देश 33/2023) द्वारा संशोधित वित्त निर्देश अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में नियुक्त किये जाने बाबत् जारी निर्देश अनुसार सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 03 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा तथा परिवीक्षाधीन अवधि पर नियुक्त सेवकों को परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर नियमित किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है तो परिवीक्षा की कालावधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिए वृद्धि की जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि किसी विशेष अभ्यर्थी के उपयुक्त कर्मचारी बनने की संभावना नहीं है तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

12. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक एफ 13-14/2009/आ.प्र./1/3 दिनांक 29.11.2012 दिये गये निर्देशानुसार में अजा वर्ग के लिये 12% अजजा 32% अपिव 14% का आरक्षण रखा गया है। राज्य स्तरीय पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश की अध्याधीन होगी एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय अनुसार विज्ञापित किये गये पदों की वर्गवार पदों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

नोट परीक्षा संचालन सम्बंधी व्यापम का नियम तथा परीक्षा पाठ्यक्रम, व्यापम की वेबसाईट https://vyapamcg.cgstate.gov.in पर देखा जा सकता है।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, रायपुर

व्यापम भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) 492002
Phone No. 0771-2972780, Website- vyapamcg.cgstate.gov.in

व्यापम परीक्षा निर्देश
जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर के अंतर्गत उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियता (विद्युत/यांत्रिकी) पदों की भर्ती परीक्षा (WRSE25)

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि	-22.05.2025 (गुरुवार)
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	-20.06.2025 (शुक्रवार) सायं 5:00 बजे तक
3. त्रुटि सुधार	21.06.2025 से 23.06.2025 सायं 5:00 बजे तक
4. परीक्षा की संभावित तिथि	20.07.2025 (रविवार)
5. परीक्षा का समय	पूर्वान्ह
6. प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि	14.07.2025 (सोमवार)
7. परीक्षा केन्द्र	05 संभागीय मुख्यालयों में।

महत्वपूर्ण टीप -

1. अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से व्यापम ने आवेदकों के प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की व्यवस्था व्यापम पोर्टल पर की है। एक बार प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) करने के बाद परीक्षा विशेष के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बार-बार व्यक्तिगत जानकारी नहीं भरनी होगी। यह जानकारी उनके प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) से स्वमेव आ जायेगी ।
2. ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी की जाति, जन्मतिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक आदि सम्बंधी प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा नहीं लिए जा रहे है। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण-पत्र का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा दी गई कोई भी जानकारी के लिए व्यापम जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वयं का होगा। आवेदन से सम्बंधित जानकारी ध्यानपूर्वक भरे।
3. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने में यदि कोई त्रुटि हुई हो तो, उसे सुधारने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात 03 दिवस का समय दिया गया है। इस दौरान अभ्यर्थी को त्रुटि सुधार स्वयं करना होगा ।
4. अभ्यर्थी का परीक्षा परिणाम अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में भरी गई जानकारी के आधार पर ही जारी किया जायेगा । किसी भी स्तर पर व्यापम द्वारा कोई सुधार नहीं किया जायेगा।
5. ऑनलाइन आवेदन करते समय, परीक्षा शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन को SUBMIT करने हेतु अनिवार्य रूप से SUBMIT बटन दबाएँ अन्यथा परीक्षा शुल्क भुगतान के बावजूद भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन मान्य नहीं होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी ।
6. छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होते हैं, उसका परीक्षा शुल्क व्यापम द्वारा वापस कर दिया जावेगा। परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाता में वापस किया जावेगा, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन का परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।
7. ऑनलाइन आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक SUBMIT करने के बाद कृपया अभ्यर्थी इसका प्रिंट आउट अनिवार्य रूप से लें व अपने पास रखें ।
8. आवेदन भरने के पूर्व विभाग द्वारा जारी भर्ती नियमों को ध्यान से पढ़े तथा पात्र होने पर ही आवेदन करें ।
9. अभ्यर्थी का वैध E-mail (ई मेल) आई डी. होना आवश्यक है। अतः अभ्यर्थी अपना E-mail अवश्य बनाकर तैयार रखें।
10. व्यापम के वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in में नया ऑनलाइन प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) फार्म भरने हेतु अभ्यर्थी अपना स्वयं का सामने से लिया हुआ फोटो .jpg,.jpeg फार्मेट में स्कैन कर कर फाइल के रूप में रखें। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें। (फाइल का नाम अल्फान्यूमेरिक में रखें, बीच में अंतराल तथा डॉट का प्रयोग न करें), साथ ही अभ्यर्थी अपने स्वयं के हस्ताक्षर का फोटो भी स्कैन कर कर एक अलग, jpg/.jpeg फार्मेट में फाइल के रूप में रखे। जिसका अधिकतम साइज 100 kb एवं न्यूनतम साइज 50 kb का हो, सेव कर रखें।
11. यदि कोई अभ्यर्थी दिव्यांग है, तो वेबसाइट में उल्लेखित दिव्यांगता के प्रकार का चयन करके अपना प्रोफाइल अपडेट करें। दिव्यांग अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल में जिला मेडिकल बोर्ड या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का क्रमांक एवं जारी होने का दिनांक भी प्रविष्ट करना अनिवार्य है।

क्रमशः

12. **परीक्षा शुल्क के सम्बंध में:-** अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन करते समय निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से करना है। छत्तीसगढ़ शासन, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 5-20/2015/जन.नि./42 नया रायपुर, दिनांक 14.12.2015 के अनुपालन में व्यापम द्वारा जारी आदेश क्र./2830/स्था./ व्यापम /2015/ रायपुर, दिनांक 17.12.2015 अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जा रहा है।

सामान्य वर्ग **रु. 350.00**

अन्य पिछड़ा वर्ग **रु. 250.00**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग **रू. 200.00**

छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर का पत्र क्र. क्रमांक RULE-8/2/2024-GAD-1 दिनांक 21.04.2025 के परिपालन में परीक्षा परिणाम जारी होने के उपरांत छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी परीक्षार्थी, जो परीक्षा में उपस्थित होंगे, उन्हें उनके द्वारा दी गई परीक्षा शुल्क की राशि उसी बैंक खाता में वापस की जायेगी, जिस बैंक खाता से अभ्यर्थी ने परीक्षा शुल्क का भुगतान किया है।

महत्वपूर्ण जानकारी

1. **प्रोफाइल संबधित जानकारी-** अभ्यर्थी द्वारा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में दी गई जानकारी के आधार पर ही ऑनलाइन आवेदन भरा जायेगा। ऑनलाइन आवेदन के आधार पर ही व्यापम परीक्षा परिणाम तैयार करता है। ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) की जानकारियों को अवश्य जाँच ले तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन सबमिट करें।

2. **पात्रता :-** आवेदन हेतु पात्रता के संबंध में विभागीय नियम देखें। केवल वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो विभागीय नियमों में दी गई शर्तें पूरी करते हों। मात्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना अथवा परीक्षा में सम्मिलित होना अभ्यर्थी को पात्र नहीं बनाता है।

3. **ऑनलाइन आवेदन करने की विधिः-**ऑनलाइन आवेदन करने की विधि की जानकारी व्यापम वेबसाइट के "Instructions to fill the FORM" लिंक पर उपलब्ध है।

4. **ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की विधि -**

4.1 मूलभूत जानकारी में सुधार करने हेतु अभ्यर्थी को अपने प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में सुधार करना होगा, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन में मूलभूत जानकारी सही दर्शित होगी। इसके अलावा ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् भी अतिरिक्त 03 दिवस का समय त्रुटि सुधार हेतु दिया गया है।

4.1 ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि अथवा निर्धारित समय सीमा में की गई त्रुटि सुधार के अनुसार ही व्यापम स्तर से प्रवेश पत्र जारी किया जावेगा।

5. **प्रवेश पत्र संबंधी जानकारी :-** परीक्षा के लगभग 07 दिन पूर्व एडमिट कार्ड व्यापम की वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा। अभ्यर्थी अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन (पंजीकरण) में जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा पश्चात् भी एडमिट कार्ड को संभालकर रखें। काउंसलिंग के समय / सर्विस ज्वाइनिंग के समय इसे प्रस्तुत करना पड़ सकता है। पोस्ट ऑफिस के माध्यम से अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जायेगा।

6. **हेल्प लाइन संबंधी जानकारीः-** ऑनलाइन आवेदन भरने में किसी प्रकार की दिक्कत होने पर कार्य दिवसों में प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे (कार्यालयीन समय) के बीच 0771-2972780 नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। साथ ही अवकाश के दिनों में मोबाइल नंबर 8269801982 पर समय प्रातः 10:00 से सायं 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

7. **पाठ्यक्रम संबंधी जानकारीः-** परीक्षा हेतु सम्बंधित विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम व्यापम वेबसाइट के Syllabus लिंक पर उपलब्ध है।

8. **परीक्षा कक्ष में प्रवेश :-** परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थी केवल निम्नलिखित सामग्री लाएं

(1) प्रवेश पत्र

(2) काला या नीला बाल पॉइंट पेन

(3) फोटोयुक्त पहचान पत्र के रूप में मतदाता पहचान पत्र/ड्रायविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/पासपोर्ट आदि की मूलप्रति

फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र के अभाव में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

नोट- (अ) परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार के मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, पाउच, स्कार्फ आदि लाना पूर्णत वर्जित है।

(ब) परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ समय से कम से कम 01 घंटा पहले परीक्षा केन्द्र में अनिवार्यतः उपस्थित रहे, जिससे परीक्षार्थी का सत्यापन मूल पहचान पत्र से किया जा सके ।

9. **दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए निर्देश :-** व्यापम की परीक्षाओं में दिव्यांगजनों को सह लेखक (Scribe) की सुविधा के लिए दिनांक 27.02.2025 को दिशा-निर्देश जारी किए गए है, जो व्यापम की वेबसाइट vyapamcg.cgstate.gov.in पर उपलब्ध है।

10. **परीक्षा पद्धति एवं मूल्यांकन पद्धति :-**

10.1 प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर तीन समान बार कोड स्टिकर संलग्न है। परीक्षार्थी एक बार कोड स्टिकर को ओएमआर शीट पर, दूसरे बार कोड स्टिकर को प्रश्न पत्र के मुख्य पृष्ठ पर व तीसरे बार कोड स्टिकर को उपस्थिति पत्रक पर सावधानीपूर्वक इंगित स्थान पर अवश्य चिपकायें ।

10.2 प्रश्न पत्र में 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न में 01 अंक देय होगा। अभ्यर्थियों को इन प्रश्नों को हल करने हेतु 02:00 घंटे का समय दिया जावेगा। दिए गये प्रश्नों के चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन करना होगा। सही विकल्प पर उत्तरशीट (OMR) में नीले/काले डॉट पेन से गोला को पूर्णतः भरना होगा। गलत उत्तर अथवा एक से अधिक उत्तर अंकित करने पर ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान है तदानुसार नियत अंक का 1/4 अंक काटा जाएगा। परीक्षार्थी द्वारा जिन प्रश्नों के उत्तर अंकित नहीं किये जायेंगे उनके लिए शून्य (zero) अंक प्रदान किया जाएगा।

11. **दावा/आपत्ति का निराकरण :-**

11.1 व्यापम वेबसाइट पर दावा आपत्ति हेतु परीक्षार्थी को अपना पंजीयन क्रमांक (रजिस्ट्रेशन आई डी) एवं जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा और निर्देशानुसार दावा आपत्ति दर्ज करानी होगी।

11.2 परीक्षा उपरांत व्यापम द्वारा जारी मॉडल उत्तर पर यदि परीक्षार्थी को आपत्ति हो तो नियत अवधि के भीतर सप्रमाण दावा / आपत्ति (किसी गाइड बुक का प्रमाण मान्य नहीं होगा) दर्ज करना होगा।

11.3 ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करने हेतु परीक्षार्थी को प्रति प्रश्न रू. 50/- शुल्क (ऑनलाइन के माध्यम से) देना होगा। शुल्क भुगतान के बिना दावा-आपत्ति मान्य नहीं होगा ।

11.4 डाक/ई-मेल द्वारा या व्यापम भवन में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किये गये दावा-आपत्ति स्वीकार नहीं किया जायेगा।

11.5 दावा आपत्ति दर्ज कराने की विस्तृत प्रक्रिया का मेनुअल व्यापम वेबसाइट पर उपलब्ध है।

11.6 दावा आपत्ति करने से पूर्व आपत्ति के पक्ष में दिये जाने वाले की सॉफ्ट कॉपी अपलोड हेतु तैयार रखें एवं आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर इसकी पावती डाउनलोड अवश्य कर लें ।

11.7 बिना प्रमाण का दावा/आपत्ति को अमान्य किया जावेगा।

11.8 प्रत्येक प्रश्न का दावा/आपत्ति अलग-अलग प्रस्तुत करना होगा। एक साथ एक से अधिक प्रश्नों पर दावा/आपत्ति प्रस्तुत करने पर अमान्य किया जायेगा ।

11.9 प्राप्त दावा/आपत्ति का व्यापम स्तर पर विषय विशेषज्ञों द्वारा निराकरण किया जाता है। परीक्षण पश्चात् विषय विशेषज्ञों द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। तदानुसार अंतिम उत्तर तैयार किया जाएगा।

11.10 अंतिम उत्तर के आधार पर व्यापम द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जाएगा ।

11.11 परीक्षा परिणाम के साथ अंतिम उत्तर जारी किया जाएगा। व्यापम द्वारा जारी अंतिम उत्तर पर किसी भी प्रकार का पुनः दावा/आपत्ति मान्य नहीं किया जावेगा।

12. **त्रुटि पूर्ण प्रश्न का विलोपन संबंधी :-**

निम्नलिखित कारणों से प्रश्न विलोपित किए जा सकते है-

1. प्रश्न की संरचना गलत हो,

2 कोई भी विकल्प सही न हो,

3 किसी प्रश्न के हिन्दी और अंग्रेजी रुपांतर में अंतर हो जिस कारण दोनों के भिन्न-भिन्न अर्थ निकलते हों और एक भी सही उत्तर स्पष्ट न होता हो

4 मुद्रण त्रुटि हुई हो जिससे सही उत्तर प्राप्त न हो ।

नोट - विलोपित प्रश्न पर सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से उस प्रश्न पर आबंटित अंक, बोनस अंक के रूप में प्रदान किया जायेगा ।

एक से अधिक सही उत्तर की स्थिति में - ऐसे प्रश्न जिनका दिए गए विकल्पों में एक से अधिक सही उत्तर हैं, सभी सही उत्तरों को मान्य किया जाएगा ।

13. **परीक्षा परिणाम :-**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा संबंधित विभाग के नियमों के आधार पर प्राप्तांक घोषित की जावेगी। अभ्यर्थी अपना परीक्षा परिणाम व्यापम की वेबसाइट https://vyapameg.cgstate.gov.in पर देख सकते हैं तथा प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।

14. **पुनर्गणना / पुनर्मूल्यांकन :-**

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उत्तरशीट का मूल्यांकन ओ.एम.आर. मशीन से किया जाता है, अतः पुनर्गणना/पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

15. **क्षेत्राधिकार (JURISDICTION) -**

व्यापम का दायित्व मात्र परीक्षा आयोजित कर परीक्षा परिणाम जारी करने तक सीमित है। दस्तावेज परीक्षण एवं सत्यापन/चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया व्यापम द्वारा नहीं किया जाता है।

16. व्यापम द्वारा जारी परीक्षा जिला कोड तथा समन्वयक केन्द्रों के नाम :-

क्र.	जिला का नाम	जिला कोड	महाविद्यालय का नाम	दूरभाष नंबर
1	सरगुजा (अम्बिकापुर)	11	राजीव गांधी शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, अम्बिकापुर	07774–230921
2	बिलासपुर	13	शासकीय ई. राघवेन्द्र राव,स्नातकोत्तर विज्ञान महा., बिलासपुर	07752–246430
3	दुर्ग	16	विश्वनाथ तामस्कर शासकीय कला एवं विज्ञान महा.,दुर्ग	0788–2211688
4	जगदलपुर (बस्तर)	17	शासकीय पी.जी. महाविद्यालय, जगदलपुर	07782–229340
5	रायपुर	25	शासकीय नागार्जुन पी.जी. विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर	0771–2263131

नियंत्रक

छत्तीसगढ़ व्यापम, नवा रायपुर

केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण
CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL
प्रधान न्यायपीठ / PRINCIPAL BENCH

फोन / Phone : 011-23385097, ई-मेल / E-mail: estt-cat@gov.in
61/35, कॉपरनिकस मार्ग / 61/35, Copernicus Marg, नई दिल्ली - 110001 / New Delhi- 110001

दिनांक / Date: 22.05.2025

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में रिक्त पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरना.

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में निम्नलिखित पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर प्रारंभ में 01 वर्ष की अवधि के लिए भरने का प्रस्ताव है, जिसे प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार सेवारत सरकारी कर्मचारियों में से बढ़ाया या घटाया जा सकता है. उक्त पदों के लिए चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन और भत्ते तथा प्रतिनियुक्ति की अन्य शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17.06.2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/8/2009-स्था.(वेतन-II) में निहित अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएंगी, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के कर्मचारी मौजूदा नियमों के अनुसार सामान्य पूल आवासीय आवास के लिए पात्र हैं और इसे बनाए रख सकते हैं. यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतिम भर्ती प्रक्रिया के दौरान रिक्तियों की संख्या बढ़/घट सकती है. पदों का नाम और संख्या, वर्गीकरण, कार्यकाल, वेतनमान और इन पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरने के लिए पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

1. **रजिस्ट्रार (01)***
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-13 में ग्रुप ए (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-4, रु. 37400-67000 प्लस रु. 8700/- का ग्रेड वेतन). वर्तमान में ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद और चंडीगढ़ बेंचों या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

(I) कानून में डिग्री रखने वाले अधिकारी और धारण करने वालेः
(ए) केंद्र/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में अनुरूप पद; **या**
(बी) 7600 रुपये ग्रेड वेतन वाले पद, जिसमें ग्रेड में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा हो (7वें सीपीसी में लेवल 12 में संशोधित); **या**
(सी) 6600 रुपये ग्रेड वेतन वाले पद, जिसमें ग्रेड में न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा हो (7वें सीपीसी में लेवल 11 में संशोधित); **या**
(II) नियमित आधार पर जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/रजिस्ट्रार/उच्च न्यायालय के अतिरिक्त रजिस्ट्रार का पद धारण करने वाले अधिकारी.

***नोट 1:** पदोन्नति कोटा से प्रतिनियुक्ति कोटा में 01 रिक्ति के डायवर्जन द्वारा छूट के संबंध में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अनुमोदन के अधीन.

2. **संयुक्त रजिस्ट्रार (05)**
पे मैट्रिक्स के लेवल-12 में ग्रुप ए (राजपत्रित) (पूर्व-संशोधित पे बैंड-3, रु. 15600-39100 प्लस रु. 7600/- का ग्रेड पे). वर्तमान में ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद, कटक, गुवाहाटी, जम्मू, कोलकाता, मुंबई और श्रीनगर बेंचों या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

(I) कानून में डिग्री रखने वाले अधिकारी और धारण करने वालेः
(क) केंद्र/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय में सदृश पद; **या**
(ख) 6600/- रुपये के ग्रेड वेतन (7वें वेतन आयोग में लेवल 11 में संशोधित) में न्यूनतम 05 वर्ष की नियमित सेवा वाले पद. **या**
(II) न्यूनतम 08 वर्ष की नियमित सेवा वाले न्यायिक अधिकारी.

3. **उप पंजीयक (08)**
पे मैट्रिक्स के लेवल - 11 में ग्रुप ए (राजपत्रित) (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड - 3, रुपये 15600-39100 प्लस 6600/- रुपये का ग्रेड वेतन). वर्तमान में ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद, चेन्नई, कटक, हैदराबाद और मुंबई बेंच या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों के अधिकारीः
(I) (क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले; **या**
(ख) 5400/- रुपये के ग्रेड वेतन में कम से कम 05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ; **या**
(ग) 4800/- रुपये के ग्रेड वेतन में कम से कम 06 वर्ष की नियमित सेवा के साथ या समकक्ष. **और**
(II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री या समकक्ष.

4. **प्रधान निजी सचिव (01)**
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-11 में ग्रुप ए (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3, रु. 15600- 39100 प्लस रु. 6600/- का ग्रेड वेतन). ट्रिब्यूनल की अहमदाबाद, कटक और एर्नाकुलम बेंच या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में वर्तमान में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों के अधिकारी जो पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3 (रु. 1 5600-39100 प्लस रु.6600/- का ग्रेड वेतन) में नियमित आधार पर प्रधान निजी सचिव के सदृश पद धारण करते हों; **या** निजी सचिव के ग्रेड में वेतन बैंड - 2 (रु. 9300-34800 प्लस ग्रेड वेतन रु. 4800/-) और वेतन बैंड - 3 (रु. 15600-39100 प्लस ग्रेड वेतन रु. 5400/-) में कम से कम 08 वर्ष की संयुक्त नियमित सेवा के साथ.

5. **उप लेखा नियंत्रक (01)**
वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 11 में समूह ए (राजपत्रित) (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड - 3, रु. 15600-39100 प्लस ग्रेड वेतन रु. 6600/-) नई दिल्ली में न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ के लिए.

पात्रता मानदंडः

(I) केंद्रीय लेखा महानियंत्रक के विभागीय लेखा संगठन से उप लेखा नियंत्रक के रूप में कार्यरत अधिकारी, जिन्होंने सी.जी.ए., सी.जी.ओ.ए., पी.एंड.टी. लेखा या रेलवे लेखा सेवा के अंतर्गत उप लेखा नियंत्रक के ग्रेड में न्यूनतम 02 वर्ष की सेवा की हो.
(II) सी.जी.ए., सी.जी.ओ.ए., पी.एंड.टी. लेखा और रेलवे लेखा सेवा में लेखा अधिकारी के ग्रेड में न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के साथ लेखा अधिकारी.

6. **अनुभाग अधिकारी/न्यायालय अधिकारी (25)**
पे मैट्रिक्स के लेवल - 08 में ग्रुप बी (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड - 2, रु.9300-34800 प्लस रु.4800/- का ग्रेड वेतन). नई दिल्ली, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, कटक, एर्नाकुलम, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर न्यायाधिकरण की मुख्य पीठों या न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

अनिवार्यः

(I) केंद्र/राज्य सरकार/उच्च न्यायालय/अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन कार्यरत व्यक्ति-
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए; **या**
(ख) वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 तथा रु. 4600 ग्रेड वेतन में सहायक या समकक्ष पद धारण किए हुए तथा 08 वर्ष की नियमित सेवा की हो;
(II) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समकक्ष.

वांछनीयः विधि में डिग्री.

7. **निजी सचिव (01)**
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-08 में समूह बी (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 प्लस रु. 4800/- का ग्रेड वेतन). इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, जम्मू, कोलकाता, मुंबई, पटना और श्रीनगर न्यायाधिकरण की पीठों या न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

केंद्र/राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों के तहत आशुलिपिक के पद पर कार्यरत अधिकारी-
(I) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; या
(II) पूर्व संशोधित वेतन बैंड - 2 (रु. 9300-34800 + रु. 4600/- का ग्रेड वेतन) के स्केल में 06 वर्ष की नियमित सेवा.

8. **लेखा अधिकारी (06)**
वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 07 में समूह बी (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड - 2, रु. 9300-34800 + रु. 4600/- का ग्रेड वेतन). नई दिल्ली, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, कोलकाता, मुंबई और पटना न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ या न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ में रिक्तियां उपलब्ध हैं/होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

(I) किसी भी संगठित लेखा विभाग से नियमित लेखा/लेखा परीक्षा अधिकारी; **या**
(II) केंद्र सरकार के अधीन नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वाले अधिकारी जिन्होंने आईएसटीएम या समकक्ष में नकद और लेखा कार्य में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो और नकद और लेखा और बजट कार्य में अनुभव रखते हों; **या**
(III) पूर्व संशोधित वेतन बैंड - 2 (रु. 9300-34800 प्लस रु. 4200/- का ग्रेड वेतन) के स्केल में जूनियर लेखा अधिकारी/लेखा परीक्षा अधिकारी या समकक्ष, क्रमशः सीएंडएजी, रक्षा लेखा, पीएंडटी, रेलवे लेखा विभाग के तहत 08/05 वर्ष की नियमित सेवा के साथ.

9. **सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी (05)**
वेतन मैट्रिक्स के लेवल-07 में ग्रुप बी (राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2, रु. 9300-34800 प्लस रु. 4600/- का ग्रेड वेतन). न्यायाधिकरण की अहमदाबाद, इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़, एर्नाकुलम, जोधपुर और लखनऊ पीठों या न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ में रिक्तियां उपलब्ध हैं/उपलब्ध होने की संभावना है, जहां अंतिम चयन के समय रिक्तियां उपलब्ध होंगी.

पात्रता मानदंडः

केंद्र या राज्य सरकार या उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के अधीन अधिकारी-
(I) सदृश पद धारण करने वाले; **या**
(II) वेतन बैंड-2, रु.9300-34800 प्लस रु. 4200/- के ग्रेड वेतन में कम से कम पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ; **और**

निम्नलिखित योग्यता और अनुभव रखते हुएः

अनिवार्यः

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक की डिग्री;
(II) केंद्र या राज्य सरकार या स्वायत्त या वैधानिक संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षणिक संस्थान के तहत पुस्तकालय में दो वर्ष का पेशेवर अनुभव.

वांछनीयः

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में मास्टर डिग्री;
(II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा.

10. **जूनियर लेखा अधिकारी (07)**
वेतन मैट्रिक्स के लेवल 06 में ग्रुप बी (गैर-राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड - 2, रु. 9300-34800 प्लस रु. 4200/- का ग्रेड वेतन). ट्रिब्यूनल की इलाहाबाद, कटक, गुवाहाटी, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर और श्रीनगर बेंचों या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच के लिए जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

केंद्र सरकार के तहत अधिकारी जो विभिन्न लेखा संगठनों में सदृश पद या एसएएस अकाउंटेंट, जूनियर लेखा अधिकारी धारण करते हैं; **या**

केंद्र सरकार के 05 वर्ष की सेवा वाले सहायक / 10 वर्ष की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिक जिन्होंने ISTM या समकक्ष में कैश और अकाउंट्स प्रशिक्षण लिया है या नकद, लेखा और बजट कार्यों का 03 वर्ष का अनुभव रखते हों.

11. **केयरटेकर (06)**
पे मैट्रिक्स के लेवल-06 में ग्रुप बी (गैर-राजपत्रित) (पूर्व संशोधित पे बैंड-2, रु. 9300-34800 प्लस रु. 4200/- का ग्रेड पे). ट्रिब्यूनल की चेन्नई, गुवाहाटी, जबलपुर, जम्मू, जोधपुर, कोलकाता, मुंबई और श्रीनगर बेंचों या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच के लिए जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

(I) केंद्र सरकार के अधिकारी-
(क) नियमित आधार पर सदृश पद धारण करना; **या**
(ख) पूर्व संशोधित पे बैंड-1 (रु. 5200-20200 प्लस रु. 2400/- का ग्रेड पे) के स्केल में पद धारण करना और ग्रेड में 08 वर्ष की नियमित सेवा. **और**

क्रमशः

(II) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से डिग्री रखना.

12. **वरिष्ठ लेखाकार (11)**

वेतन मैट्रिक्स के लेवल-05 में ग्रुप सी (गैर-राजपत्रित) (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-1, रुपये 5200-20200 + 2800 रुपये का ग्रेड वेतन) न्यायाधिकरण की नई दिल्ली, अहमदाबाद, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, लखनऊ और श्रीनगर पीठों या न्यायाधिकरण की किसी अन्य पीठ के लिए जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

(I) विभागीय लेखा संगठन के वरिष्ठ लेखाकार/भारतीय लेखापरीक्षित लेखा विभाग के लेखा परीक्षक। उस ग्रेड में सीजीए रक्षा, पी एंड टी और रेलवे के वरिष्ठ लेखाकार; **या**

(II) विभागीय लेखा प्रणाली में जूनियर अकाउंटेंट या रक्षा, पीएंडटी या रेलवे के सीजीए अकाउंट्स विभाग के तहत या सीएजी के तहत ऑडिटर उस ग्रेड में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव; **या**

(III) आईएसटीएम द्वारा संचालित 03 महीने के कैश और अकाउंट्स प्रशिक्षण के साथ सीएसएस कैडर में सहायक.

13. **जूनियर अकाउंटेंट (04)**

वेतन मैट्रिक्स के लेवल - 04 में ग्रुप सी (गैर-राजपत्रित) (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 प्लस रु. 2400/- का ग्रेड वेतन). रिक्तियां ट्रिब्यूनल के इलाहाबाद, बैंगलोर, चंडीगढ़ और कोलकाता बेंच या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में हैं, जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

(I) सीजीए के तहत विभागीय लेखा प्रणाली में अनुभवी जूनियर अकाउंटेंट, पीएंडटी अकाउंट्स, रक्षा और रेलवे अकाउंट्स या सीजीए के तहत ऑडिटर; **या**

(II) अपर डिवीजन क्लर्क (वरिष्ठ सहायक) आईएसटीएम द्वारा संचालित कैश और अकाउंट्स प्रशिक्षण के साथ सीएसएस या अधीनस्थ कार्यालय है.

14. **डिस्पैच राइडर (05)**

ग्रुप सी (गैर-राजपत्रित) वेतन मैट्रिक्स के स्तर - 02 में (पूर्व-संशोधित वेतन बैंड - 1, रु. 5200-20200 प्लस रु. 1900/- का ग्रेड वेतन). रिक्तियां ट्रिब्यूनल की हैदराबाद, जम्मू, कोलकाता, मुंबई और श्रीनगर बेंचों या ट्रिब्यूनल की किसी अन्य बेंच में हैं, जहां अंतिम चयन के समय रिक्ति उपलब्ध होगी.

पात्रता मानदंडः

मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने की क्षमता का आकलन करने के लिए ड्राइविंग टेस्ट के परिणाम के आधार पर केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला न्यायालयों और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के नियमित ग्रुप 'सी' कर्मचारियों में से जो 1800/- रुपये के ग्रेड वेतन के साथ पे बैंड - 1 में पद धारण करते हैं और निम्नलिखित योग्यता रखते हैं, अर्थात्:

(I) मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा के लिए वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना.

(II) मोटर साइकिल या ऑटो रिक्शा चलाने में दो वर्ष का अनुभव.

(III) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्थान से मैट्रिकुलेशन या समकक्ष उत्तीर्ण होना.

प्रतिनियुक्ति पर आए भूतपूर्व सैनिकों के लिएः

सशस्त्र बल कार्मिक जो 01 वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या जिन्हें रिजर्व में स्थानांतरित किया जाना है और जिनके पास निर्धारित अपेक्षित अनुभव और योग्यता है, उन्हें भी डिस्पैच राइडर के पद के लिए विचार किया जाएगा. ऐसे व्यक्तियों को उस तिथि तक प्रतिनियुक्ति अवधि दी जाएगी, जिस तिथि को वे सशस्त्र बलों से मुक्त होने वाले हैं; इसके बाद उन्हें पुनर्नियुक्ति पर जारी रखा जा सकता है.

अन्य नियम और शर्तें :

1. उपरोक्त पदों के संबंध में प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य बाह्य संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति भी शामिल है, सामान्यतः पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी.
2. **आयु सीमाः** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी.
3. रिक्तियों की संख्या और तैनाती का स्थान परिवर्तन के अधीन है. चयनित अधिकारी/कर्मचारी को उस बेंच में तैनात किया जा सकता है जहां उस प्रासंगिक समय पर रिक्ति उपलब्ध होगी.
4. पात्र अधिकारी जो उक्त पदों के लिए विचार किए जाने के इच्छुक हैं तथा जिन्हें तत्काल कार्यमुक्त किया जा सकता है, उनके पिछले पांच वर्षों के एसीआर/एपीएआर की सत्यापित प्रतियों के साथ दिए गए प्रोफॉर्मा (डबल स्पेस में विधिवत टाइप) में आवेदन पत्र, **विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 20 दिन के भीतर प्रधान रजिस्ट्रार, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, 61/35 कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली - 110001 (ईमेल आईडीः estt-cat@gov.in तथा pr-catnewdelhi@ gov.in) को भेजे जाएं**
5. आवेदन पत्र भेजते समय इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाए कि अधिकारी/कर्मचारी सतर्कता की दृष्टि से दोषमुक्त है तथा उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक मामला लंबित/विचाराधीन नहीं है.
6. आवेदन पत्र भेजते समय विभाग कृपया यह सुनिश्चित करे कि जो अधिकारी/कर्मचारी स्वेच्छा से पद के लिए आवेदन करता है, उसे बाद में अपना नाम वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
7. यह कार्यालय आवेदक/आवेदक के मूल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए किसी भी दस्तावेज को वापस करने की स्थिति में नहीं होगा, चाहे उसका चयन कुछ भी हो.
8. अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन या अन्यथा अपूर्ण पाए जाने वाले आवेदन जैसे कि एसीआर/एपीएआर, सतर्कता मंजूरी प्रमाण पत्र की कमी या कार्यालय की मुहर के बिना आदि पर विचार नहीं किया जाएगा.

(सुलभ रस्तोगी)
रजिस्ट्रार
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण
प्रधान पीठ, नई दिल्ली - 110001

बायोडाटा प्रस्तुत करने के लिए प्रोफॉर्मा
(एक तरफ डबल स्पेस में टाइप किया जाना है)

1. जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं:____________________
2. आवेदक का नाम (बड़े अक्षरों में): ____________________
3. जिस कार्यालय में काम कर रहे हैं उसका नाम, पता और संपर्क नंबर, साथ ही ईमेल आईडीः__________
4. आवेदक का संपर्क विवरण ____________________
   क. मोबाइल नंबर/लैंडलाइन नंबरः____________________
   ख. ईमेल आईडीः____________________
   ग. आवासीय पताः____________________
5. जन्म तिथिः____________________
6. सेवानिवृत्ति की तिथिः____________________
7. लिंग (पुरुष/महिला):____________________
8. नियमित आधार पर मूल विभाग में वर्तमान पदः
   क. पद का नाम/पदनामः____________________
   ख. जिस तिथि से पद नियमित आधार पर है:____________________
   ग. नियुक्ति की प्रकृति (तदर्थ/नियमित):____________________
   घ. मूल पद का वेतनमानः____________________
   ङ. एसीपी/एपीएआर या एनएफएसजी प्रदान किए जाने पर वेतनमानः____________________
   च. निष्पादित कर्तव्यों की संक्षिप्त प्रकृति (अनुलग्नक संलग्न करें):____________________
   छ. सेवा का विवरण [केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/अन्य (निर्दिष्ट करें)]:____________________
9. पूर्व प्रतिनियुक्ति का विवरण, यदि कोई हो
   क. क्या वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पद धारण कर रहे हैं (हां/नहीं):
   ख. यदि हां, तो कृपया संगठन/विभाग का नाम, पदनाम, प्रतिनियुक्ति पद का वेतनमान, वर्तमान मूल वेतन, प्रतिनियुक्ति पर आने की तिथि और प्रतिनियुक्ति की वर्तमान अवधि की समाप्ति की तिथि बताएं:______
10. सरकारी सेवा में प्रवेश से लेकर आज तक का संक्षिप्त सेवा विवरण, जिसमें प्रतिनियुक्ति शर्तें और वित्तीय उन्नयन, यदि कोई हो (निम्न प्रारूप के अनुसार) शामिल हैं:

क्र.सं.	विभाग	धारित पद	अवधि		पद का वेतनमान		कर्तव्यों की संक्षिप्त प्रकृति
			से	तक	पद धारण करने के समय	वर्तमान में	

11. **व्यावसायिक योग्यताओं सहित कालानुक्रमिक क्रम में शैक्षणिक योग्यताएं (निम्न प्रारूप के अनुसार):**

क्र.सं.	डिग्री/डिप्लोमा	उत्तीर्ण होने का वर्ष	विषय	बोर्ड/विश्वविद्यालय

12. श्रेणी (यूआर/ओबीसी/एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी):____________
13. स्टेशन/पोस्टिंग का विकल्पः____________________
14. मैं समझता हूं कि चयन के बाद मुझे अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र

1. श्री/श्रीमती____________________के ऊपर प्रस्तुत सेवा विवरण उनके सेवा अभिलेखों से सत्यापित किए गए हैं और सही पाए गए हैं.
2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती____________________के खिलाफ कोई सतर्कता जांच/अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित या विचाराधीन नहीं है.
3. श्री/श्रीमती________________को पद पर नियुक्ति के लिए चयन किए जाने पर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए इस कार्यालय से अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाएगा.

स्थानः

दिनांकः

हस्ताक्षरः
नामः
पदनामः
कार्यालय मुहरः
कार्यालय ईमेल आईडीः

राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद्

(भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक शासनाधीन)

34 कि.मी. स्टोन / 34 Km Stone, दिल्ली-मध्य रोड (राष्ट्रीय राजमार्ग-२) Delhi-Mathura Road (NH-2)
बल्लबगढ़-12004/Ballabgarh-121004, हरियाणा / Haryana, भारत / India दूरभाष / Ph: +91-129-2666600; वेबसाइट / Website: www.ncbindia.com

आवश्यकता है (सीधी भर्ती)

REQUIRES (Direct Recruitment)

विज्ञापन संख्या/Advertisement No.: R/05/2025 (01)

पद का नाम	7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) के अनुसार स्तर	पद कोड	पात्रता मानदंड	कार्य जिम्मेदारी	अधिकतम आयु-सीमा (वर्ष)	पदों की संख्या और श्रेणी
एनसीबी कैडर अधिकारी उप प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	स्तर-10	HRS-01	**आवश्यकः** **1.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री. **2.** केंद्र सरकार/राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/ स्वायत्त निकायों में प्रशासन/ स्थापना/मानव संसाधन/ कार्मिक/ सतर्कता/ और अन्य प्रशासन संबंधी मामलों में योग्यता-पश्चात 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव. **वांछनीयः** **1.** कार्यालय प्रबंधन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स. **2.** कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स. **3.** ई-ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए.	उम्मीदवार भर्ती, कार्मिक, स्थापना, सुरक्षा प्रबंधन, जनशक्ति नियोजन, प्रशिक्षण और विकास, कानूनी, सतर्कता, वेतन निर्धारण/संशोधन और अन्य प्रशासनिक मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.	45 वर्ष	01 अनारक्षित
एनसीबी कैडर अधिकारी उप प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	स्तर-10	FAS-02	**आवश्यकः** **1.** अर्थशास्त्र/वाणिज्य/वित्त में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)/ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (आईसीडब्ल्यू). **2.** वित्त/लेखा मामलों, खातों के संकलन, बजट, आंतरिक लेखा परीक्षा और वाणिज्यिक लेखांकन और केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ निजी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)/ स्वायत्त निकायों के अन्य खाता संबंधी मामलों को बनाए रखने में 15 (पंद्रह) वर्ष का पोस्ट-योग्यता अनुभव (स्नातक डिग्री के लिए) और 08 (आठ) वर्ष का पोस्ट-योग्यता अनुभव (चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए)/ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स (आईसीडब्ल्यूए) के लिए). **वांछनीयः** 1. स्नातकोत्तर स्तर पर वित्त/लेखा/वाणिज्य में विशेषज्ञता. 2. टैली में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) का कार्यसाधक ज्ञान. 3. ई-ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए.	उम्मीदवार वित्तीय प्रबंधन, लागत लेखांकन, बजट आंतरिक लेखा परीक्षा, खातों को अंतिम रूप देने, कराधान, बैलेंस शीट और अन्य लेखा संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार होगा.	45 वर्ष	01 अनारक्षित
एनसीबी कैडर अधिकारी उप प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन सेवाएं)	स्तर-10	MMS-03	**आवश्यकः** **1.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री. **2.** स्टोर खातों को बनाए रखने, खरीद कार्यों को संभालने, निविदा, ई-खरीद प्रक्रिया, अनुबंध, एएमसी, इन्वेंट्री नियंत्रण, खरीद और अनुबंध प्रक्रिया का ज्ञान, केंद्र सरकार / राज्य सरकार / निजी क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) / स्वायत्त निकायों के जीएफआर और जीईएम खरीद समारोह का ज्ञान में योग्यता के बाद 15 (पंद्रह) वर्ष का अनुभव. **वांछनीयः** **1.** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सामग्री प्रबंधन / गोदाम प्रबंधन / खरीद / रसद या सार्वजनिक खरीद में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या डिप्लोमा. **2.** GeM खरीद और सामग्री / खरीद प्रबंधन में सर्टिफिकेट कोर्स. **3.** केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (CPPP), ई-खरीद और GeM पोर्टल का कार्यसाधक ज्ञान. **4.** ई-ऑफिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए.	उम्मीदवार खरीद, जीएफआर, जीईएम और केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) के अनुसार स्टोर, इन्वेंट्री, निविदा, सामग्री और अन्य स्टोर और खरीद से संबंधित मामलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा.	45 वर्ष	01 अनारक्षित

सामान्य नियम एवं शर्तें/अन्य विवरणः

1. उपर्युक्त विषय पर विद्यमान नियम एवं शर्तों के स्थान पर, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) में एनसीबी कैडर अधिकारियों की सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित नियम एवं शर्तें निर्धारित की जा रही हैं, जब तक कि इन नियमों एवं शर्तों में और संशोधन नहीं किया जाता. ये नियम एवं शर्तें भावी तिथि से प्रभावी होंगी.

2. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए.

3. विज्ञापन संख्या और पद कोड आवेदन के साथ-साथ आवेदन प्रारूप में लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए.

4. आवेदन शुल्कः प्रति पद 500/- रुपये (केवल पांच सौ रुपये). अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित उम्मीदवार, दिव्यांग व्यक्ति, भूतपूर्व सैनिक और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है.

5. भुगतान विधिः भारतीय स्टेट बैंक द्वारा राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद के पक्ष में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से पोर्टल पर भुगतान करें.

क्रमशः

ईसीएस भुगतान के लिए विवरणः भारतीय स्टेट बैंक, सीआरआई फरीदाबाद शाखा, फरीदाबाद- 121004

एसबी खाता संख्याः 37301477161 पैन संख्याः AAATN2477N	एमआईसीआर कोडः 110002194 टैन संख्याः DELN09625	आईएफएससी कोडः SBIN0003794 जीएसटी संख्याः 06AAATN2477N1Z6

6. एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन भेजना चाहिए.

7. आयु, योग्यता और अनुभव में छूट/रियायत भारत सरकार के नियमों के अनुसार है.

8. विज्ञापित तीनों पद अनारक्षित श्रेणी के हैं. तीनों पदों के लिए आयु, योग्यता और अनुभव में कोई छूट/रियायत नहीं है.

9. (आयु) पात्रता निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि एनसीबी बल्लभगढ़ में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि होगी.

10. सरकारी निजी क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ स्वायत्त निकायों आदि में नियमित कर्मचारी के रूप में कार्यरत अभ्यर्थी उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे या आवेदन के साथ अपने वर्तमान नियोक्ता से '**अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)**' प्रस्तुत करेंगे. एनसीबी के आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि को या उससे पहले प्राप्त अग्रिम प्रति पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा. अनुबंध के आधार पर कर्मचारी/ युवा पेशेवरों को आवेदन के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति (अनुबंध) पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

11. आवेदकों को आवेदन पत्र भरना होगा (जो NCB की वेबसाइट www.ncbindia.com पर उपलब्ध है):

(a) विज्ञापन संख्या

(b) पोस्ट कोड

(c) आवेदक का नाम

(d) पिता/पति/पत्नी का नाम

(e) जन्म तिथि, राष्ट्रीयता

(f) पत्राचार का पता

(g) श्रेणी (एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस आदि)

(h) हाई स्कूल से आगे की शैक्षिक योग्यता का विवरण

(i) विस्तृत अनुभव

(j) घोषणा

(k) संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी)

(l) तिथि और स्थान के साथ उम्मीदवार के हस्ताक्षर.

12. **आवेदकों को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगेः**

(क) जन्म तिथि का प्रमाण

(ख) पहचान प्रमाण (निम्न में से कोई एक): आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत सरकार द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र.

(ग) जाति प्रमाणपत्र (एससी/एसटी/ओबीसी आदि) और सक्षम प्राधिकारी से ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र.

(घ) शैक्षिक योग्यता की प्रतियां (प्रमाणपत्र और मार्कशीट)

(ङ) नियोक्ता से अनुभव प्रमाणपत्र

(च) नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जहां भी आवश्यक हो

(छ) आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद/बैंक लेनदेन का विवरण

(ज) हाल ही में पासपोर्ट आकार (रंगीन फोटो) - 02 नग.

(झ) कोई अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

13. बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा सीजीपीए आदि ग्रेड प्रदान करने के मामले में, उम्मीदवारों को अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान के अनुसार सूत्र के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा. बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा जारी ग्रेड को प्रतिशत में बदलने के फार्मूले की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी.

14. यदि कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसकी स्व-सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी.

15. बिंदु संख्या (11) में उल्लिखित किसी/या सभी सूचनाओं के बिना और बिंदु संख्या (12) में उल्लिखित किसी/सभी दस्तावेज (आवेदन के साथ संलग्न) के बिना एनसीबी में प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और उन पर विचार नहीं किया जाएगा.

16. अपूर्ण आवेदन और/या डाक देरी सहित किसी भी कारण से अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर न तो विचार किया जाएगा और न ही इस संबंध में किसी पत्राचार पर विचार किया जाएगा.

17. न्यूनतम आवश्यक योग्यता पूरी करने के बाद केवल योग्यता के बाद का अनुभव जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन करेगा, प्रभावी अनुभव के रूप में गिना जाएगा.

18. विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड अपनाएगी. स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वालों को व्यक्तिगत चर्चा के लिए आमंत्रित किया जाएगा. अंतिम मेरिट सूची व्यक्तिगत चर्चा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी.

19. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति से संबंधित सभी मामलों में राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) के महानिदेशक का निर्णय सभी या किसी भी अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी नहीं होगा और इस संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा.

20. योग्यता की पूर्ति मात्र से लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्टिंग का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है.

21. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) विभिन्न पदों के लिए पाठ्यक्रम और प्रश्न पत्र निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.

22. राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) विज्ञापित किसी भी/सभी पदों के लिए योग्यता के न्यूनतम कुल प्रतिशत (%) या समकक्ष सीजीपीए को बढ़ाने या स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग चरण के दौरान किसी भी अन्य मानदंड को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखती है.

23. चल रही भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मुद्दे पर किसी भी आवेदक से कोई प्रवेश पूछताछ नहीं की जाएगी.

24. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी विज्ञापन (आंशिक या पूर्ण) को संशोधित/हटाने/या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है.

25. यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो सभी पदों को भरने की आवश्यकता नहीं है.

26. कोई भी संशोधन या किसी भी पद के विज्ञापन की जानकारी केवल राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी.

27. किसी भी रूप में बातचीत करना और/या राजनीतिक या अन्य तरह से प्रभाव डालना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा.

28. सभी चयनित अधिकारियों को अपने कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्राधिकृत चिकित्सक से पुलिस सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा. हालांकि, तत्काल आवश्यकता की स्थिति में उन्हें अपनी उपलब्धता के तुरंत बाद कार्यभार ग्रहण कराया जा सकता है, बशर्ते कि कार्यभार ग्रहण करने के समय चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट और कार्यभार ग्रहण करने के बाद 02 (दो) महीने की अवधि के भीतर पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए.

29. अधिकारी से राष्ट्रीय सीमेंट और भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) के नियमों और विनियमों के अनुसार आचरण करने की अपेक्षा की जा सकती है. आपसे कर्तव्यों का निर्वहन करते समय उच्च नैतिक चरित्र, ईमानदारी, कार्यालय की गोपनीयता और काम के प्रति समर्पण का प्रदर्शन करने की अपेक्षा की जा सकती है.

30. लिखित परीक्षा और व्यक्तिगत चर्चा के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता (टीए) प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी.

31. **आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथिः विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 11 दिन.** अंतिम तिथि में विस्तार तथा अन्य परिवर्तन, यदि कोई हो, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) की वेबसाइट www.ncbindia.com पर सूचित किया जाएगा.

32. **आवेदन कैसे करें:** अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र (राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) की वेबसाइट पर उपलब्ध) डाउनलोड करें तथा उसे विधिवत भरकर, हाल ही के पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ (02) के साथ उपरोक्त डाक पते पर महानिदेशक, राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) को इस विज्ञापन के बिंदु संख्या 11 में उल्लिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज की प्रतियों के साथ बिंदु संख्या 12 में उल्लिखित सभी विवरण देते हुए जमा करें.

33. एक बार किया गया आवेदन वापस नहीं लिया जाएगा तथा भुगतान किया गया शुल्क न तो वापस किया जाएगा तथा न ही किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए रोका जा सकेगा.

34. राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद (एनसीबी) के नियमित अधिकारी इस विज्ञापन में विज्ञापित किसी भी पद के लिए आवेदन जमा कर सकते हैं तथा इसे क्षैतिज प्रक्रिया माना जाएगा.

35. अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन निर्माण सामग्री परिषद (एनसीबी) की वेबसाइट **www.ncbindia.com** का अवलोकन कर सकते हैं.

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
ई- पंजीयन
से अब बेहद आसान है
भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया
सुगम मोबाईल एप
PAN व आधार इंटीग्रेशन
स्टांप वेंडर तक पहुंच आसान
जिओ रेफरेंसिंग प्रणाली
My Deed माड्यूल
हमसे जुड़ने के लिए
QR स्कैन करें
(अधिक जानकारी के लिए
https://industries.cg.gov.in पर विजिट करें)
सुशासन से समृद्धि की ओर
Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in
छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

डॉ. रवि मित्तल - मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद की ओर से मे. डीबी कार्प. लिमिटेड, प्लाट नंबर 40/44 इण्डस्ट्रियल एरिया, उरला रायपुर से मुद्रित,
छत्तीसगढ़ संवाद, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर 19, अटल नगर, नवा रायपुर से प्रकाशित। संपादक-जवाहर लाल दरियो